रेणुका

हाँ ! पहले-2 रेणुका के सी.बी.सी.आई.डी. से संबंधित आखिरी केस के संबंध में आगे बढ़ना चाहिए; क्योंकि कु. कोनिका बर्मन को नारी निकेतन भेजने की खुशी को ही षड़यंत्रकारियों ने अगले चरणों की नींव बना डाला।

शतरंज की अगली चाल में मोहरा बनी रेणुका।

'विरोधी दल' के अगले चरण का मोहरा, जो आ.ई.वि.वि. परिवार सहित हमारे मुख्य भ्राता का समूल विनाश करने के लिए आगे बढ़ाया गया था, वह है हरियाणा-नारनौल की रहने वाली कन्या रेणुका, जिसके द्वारा कंपिल थाने में 14 मई, 98 को आरोप पत्र दाखिल करवाया गया था कि भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित ने 7 मई, 97 अर्थात् एफ.आई.आर. दर्ज कराने की एक वर्ष पहले की रात 10 बजे रेणुका के साथ बलात्कार किया और इसमें शांता बहन का सहयोग रहा। रेणुका ने सोचा भी नहीं था और उसको चलाने वालों ने भी सोचा नहीं था कि इस बनावटी कहानी में एक साल का अंतर विश्वसनीय हो सकता है ! आखरीन यह केस निचली अदालतों में होते हुए, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में पहुँचा दिया गया।

RENUKA :

Yes, the last case of Renuka should proceed first wherein the C.B.C.I.D has dealt with it and which case was built on the foundations of their successful celebration of sending an innocent girl Konika varrman to Nari Niketan.

The next pawn moved forward on the Chess Board is Renuka.

In their another step of the conspiracy, the "Opposition Group" has advanced Renuka, Narnowl , Haryana in the direction of destruction of the Ishwariya Family along with Spiritual Brother and an F.I.R was registered on 14th May, 98 with Crime No. 68/98 with allegations that Spiritual Brother Virendra Deo Dixit has raped her with the help of Shanta Kumari, a resident kanya of the Adhyatmik vidyalaya at around 10 PM on 7th May, 97 in the night, i.e., an year before the date of the complaint. Neither Renuka nor the forces behind her have ever thought as to whether concocted story could withstand reason and belief for the delay in complaining after one year. At last the case has reached the Upper District and Sessions Court via lower courts.

जब यह केस जिला जज तक पहुँच ही गया, हम यही उचित समझेंगे कि इस झूठी कहानी का पर्दाफाश कैसे हो गया, हमें उनकी जजमेंट में दी हुई बातों को ही यहाँ पेश करना ठीक रहेगा। क्योंकि, न्यायाधीश

ने खुद हमारी मेहनत को कम कर दिया और सारी साज़िशों का उन्होंने स्वयं ही विस्तार से विवरण दे दिया। इसे स्टडी करने में थोड़ा-सा समय ज़रूर लग गया। अब देखेंगे, जिला जज क्या कह रहे हैं !

In the circumstances where the case itself has reached the District Court, we feel it better to put the facts in the words of Honorable Upper District and Sessions Judge, Farrukhabad as to how the foundation of the concoction of lies is unearthed. There is a valid reason for this. The District Judge himself has reduced our efforts and has made a detailed analysis of the entire conspiracy and the concocted allegations by Renuka at the behest of the "Opposition Group". The drastic situation inevitably forces us to put up the facts a bit in detail and it takes some time to study. Let's see what the District Judge has said.

'' न्यायालय- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-8, फर्रुखाबाद ।

राज्य प्रति- 1. वीरेंद्र देव दीक्षित, 2. शांता कुमारी

अपराध संख्याः 68/98 : धाराः 376, 376 ग, 114/376 भा.दं.सं. थाना कंपिल।

जिला- फर्रुखाबाद।

निर्णयः

पृष्ठ-1 पैरा-1

1. अभियुक्त गण वीरेंद्र देव दीक्षित और शांता कुमारी का परीक्षण सत्र परीक्षण सं. 236/2001, अ. सं. 68/98, धारा 376, 376 ग और 114 भा.दं.सं. थाना कंपिल, जिला- फर्रुखाबाद के अंतर्गत किया गया है।

2. संक्षेप मामले का तथ्य है कि वह नारनौल की रहने वाली है। उसका नाम कुमारी रेणुका है। वह अप्रैल, 1996 में कंपिल में वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में आई।

पृष्ठ-67 पैरा-42

इस प्रकार प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट, घटना घटित होने के एक वर्ष, एक सप्ताह के बाद दर्ज कराया जाना साबित होता है। इस एक वर्ष, एक सप्ताह के विलंब का कोई भी पर्याप्त एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। संपुष्टि साक्ष्य के अभाव में साक्षी पी.डब्ल्यू. 1 (रेणुका) द्वारा उसके साथ अभियुक्त वीरेंद्र देव दीक्षित द्वारा अभियुक्ता शांताकुमारी के सहयोग से बलात्कार किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। तथ्य संबंधी साक्षी गण पी. डब्ल्यू. 2 (कैलाश चंद्र) और पी. डब्ल्यू. 3 (गायत्री देवी) बलात्कार की घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं रहे हैं ।

पत्रावली पर मौजूद एवं अभिलेखीय साक्ष्य से यह तथ्य साबित होता है कि प्राण गोपाल वर्मन की पुत्री कु. कोनिका वर्मन को अपने कब्जे में लेने के संबंध में इस घटना से पूर्व प्राण गोपाल वर्मन, अशोक पाहूजा, दशरथ ए. पटेल और कैलाशचंद्र तथा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम के लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें प्राण गोपाल वर्मन पक्ष असफल रहा था।

<u>पृष्ठ-68 पैरा-42</u>

और इसी बात की आध्यात्मिक विद्यालय के पक्षकारों के मध्य *रंजिश रही थी और मुकदमेबाज़ी भी चली थी। इसी रंजिश में चलते यह मुकदमा एक वर्ष पूर्व की फ़र्जी घटना बताते हुए वादिनी (रेणुका) मुकदमा से संस्थित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य तीन महिलाओं से भी बलात्कार की घटना बनाकर मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिनमें अभियुक्त गण (बाबा, कमला देवी दीक्षित, शांता बहन वगैरह) को पहले से ही दोष मुक्त किया जा चुका है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से पीड़िता (रेणुका) के साथ बलात्कार किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। नक्शा नजरी भी पीड़िता की निशान देही पर बनाया जाना साबित नहीं होता है। पीड़िता साक्षी पी. डब्ल्यू. 1 (रेणुका) की माँ साक्षी पी. डब्ल्यू. 3 (गायत्री देवी) ने भी अभियुक्त गण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। साक्षी पी. डब्ल्यू. 3 (गायत्री देवी) और पी. डब्ल्यू. 4 (डॉक्टर नीलम रानी) ने भी अपने साक्ष्य में घटना वाली दिनांक और समय पर पीड़िता साक्षी पी. डब्ल्यू. 1 (रेणुका) के साथ अभियुक्त गण द्वारा बलात्कार किए जाने की घटना से इन्कार किया है। घटना के समय घटना स्थल आश्रम पर मौजूद 200-300 लोगों में से किसी भी व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है और न ही अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। इन समस्त निष्कर्षों के आधार पर यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे सत्य साबित नहीं होता है कि 07-05-1997 को, समय रात्रि 10 बजे घटना स्थल आश्रम अभियुक्त बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने अभियुक्ता शांता कुमारी के सहयोग से पीड़िता साक्षी पी. डब्ल्यू. 1 (रेणुका) के साथ बलात्कार किया और इस प्रकार मेरे विचार से अभियोजन पक्ष अभियुक्त वीरेंद्र देव दीक्षित पुत्र स्वर्गीय सोहनलाल दीक्षित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 ग तथा अभियुक्ता शांता कुमारी पुत्री नागराज सेठी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 114/376 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सत्य साबित करना सफल नहीं रहा है और अभियुक्त गण (बाबा और शांता बहन) इन आरोपों से दोष मुक्त किए जाने के योग्य हैं।*

<u>आदेश :</u>

अभियुक्त वीरेंद्र देव दीक्षित पुत्र स्वर्गीय सोहनलाल दीक्षित को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 ग के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्ता शांता कुमारी पुत्री नागराज सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 114/376 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है।

दिनांक 27-08-2012 *अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-8, फर्रुखाबाद।''*

हाँ ! यह रेणुका के केस में अंडरग्राउंड हुए भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित और बहन कमला देवी दीक्षित को बाहर आने के लिए 14 साल का बनवास जैसा वक्त लगा है। इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं | यह समूचे कांड का पहला चरण मात्र है। अब देखेंगे, अगले चरण में क्या होता है !

In the court of Upper District and Sessions Judge, Court No.8, Farrukhabad:

State vs. 1. Baba Virendra Deo Dixit 2. Shanta Kumari

Crime No. 68/98 Sections 376, 376 A, 114/376 of the Indian Penal Code, Police Station Kampil.

District Farrukhabad.

Order:

Page 1, Para 1.

1. The accused Baba Virendra Deo Dixit and Shanta Kumari-Investigation No. 236/2001, Crime No. 68/98, Under Sections 376, 376A and 114 of Inian Penal Code; Police Station: Kampil, District Farrukhabad.

2. The brief particulars are that she is a resident of Narnowl. Her name is Kumari Renuka. She had come to the Adhyatmik vidyalaya of Virendra Deo Dixit situated at Kampil.

In para 42, page 67, the honorable judge while concluding the facts based on various evidences, has endorsed as under.

In this way, it gets proved in this matter that the F.I.R has been registered after a lapse of one year and one week. No suitable and satisfactory explanation has been submitted for the delay.

It gets proved from the documental evidence produced as well the oral examinations that, in connection with abetting Konica Varman, D/o. Prangopal Varman into their fold, there was a dispute among Prangopal Varman, Ashok Pahuja, Dasaradh A Patel and Kailash Chandra and the people of Adhyatmik vidyalaya.

The Prangopal Varman group faced failure in this dispute and there was enmity on account of this matter between the two parties and cases were instigated in

courts. While the enmity continued, the present case was made filed by the complainant Renuka. Apart from this, cases were filed by three more ladies by creating rape incidents in which Virendra Deo Dixit and Shanta Kumari were already freed by the courts.

The medical reports do not support the incidence of rape. Physical examination also did not prove existence of any marks of injuries on the body of the victim. The site plan does not appear to have been made on the basis of the explanation of the victim.

The prosecution witness P.W.3, Gayatri Devi, mother of the complainant Renuka also did not support the allegations against the respondents Virendra Deo Dixit and Shanta Kumari in her evidences .

The prosecution witness P.W.3, Gayatri Devi, mother of the complainant Renuka as also prosecution witness P.W.4. Dr. Neelima Rani also have refuted the incident of rape by the respondents with the complainant Renuka at the date and time stated thereby.

No person out of the 200 to 300 persons staying at the Adhyatmik vidyalaya at the relevant time and date of incident was produced as evidence before the court nor were examined from the side of prosecution. In view of the above circumstances, the allegation does not get proved beyond doubt that the accused Baba Virendra Deo Dixit has raped P.W.1 , Renuka with the help of Shanta Kumari on 07-05-97 at 10 PM.

Para 42 on Page 69 of the Order:

And as such in my view the allegations made by the Prosecution side on the accused Virendra Deo Dixit under I.P.C. 376 AND 376 GA and the accused Shanta Kumari under I.P.C. 114 /376 were not proved beyond doubt and the respondents are eligible to be discharged from the allegations made.

दिनांक2012-08-27- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश , कोर्ट संख्या8-, फर्रुखाबाद |

Order: The accused Virendra Deo Dixit, S/o. Sohanlal Dixit is freed from the allegations made under I.P.C. 376 AND 376 GA.

The accused Shanta Kumari, D/o. Nagaraj Sethi is freed from the allegations made under I.P.C. 114/376.

Dt 27-08-12: District and Sessions Judge: Bhairava Lal , Court No. 8, Farrukhabad.

Yes , it took a period of 14 years resembling a stay in the Forests for Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and spiritual sister Kamla Devi Dixit to come out of this case from under ground

Some related extracts relating to the judgment are annexed in the immediate pages. This entire episode is the first episode only. Let’s see what happens in the next episode.

रेणुका

फोलियो

केवल नकल की फीस के लिये

आवश्यक स्टाम्प संहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompained by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of Posting notice on notice bord	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of official delivering copy

Scanned by CamScanner

न्यायालय- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0-8 फर्रुखाबाद।
उपस्थितः- श्री.भैरवलाल ....एच0 जे0 एस0
सत्र परीक्षण सं0-236/2001
राज्य
प्रति
1- वीरेन्द्र देव दीक्षित ~~पुत्र स्व0 वीरेन्द्रदेव दीक्षित~~ पुत्र स्व0 श्री सोहन लाल दीक्षित निवासी चौधरियाना मोहल्ला -नेहरू नगर- थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद।
2- शान्ता कुमारी पुत्री नागराज सेठी निवासी दावण गिरी थाना दावण गिरी जिला चित्र दुर्गा कर्नाटक निवासी बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित कम्पिल जिला फर्रुखाबाद।

अ0सं0 68/98
धारा-376,376ग,114/
376 भा0दं0सं0
थाना- कम्पिल
जिला- फर्रुखाबाद।

निर्णय

1- अभियुक्तगण वीरेन्द्र देव दीक्षित व शान्ता कुमारी का परीक्षण सत्र परीक्षण सं0236/2001 अ0सं0 68/98 धारा 376,376ग व 114 भा0दं0सं0 थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद के अर्न्तगत किया गया है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वह नारनोल की रहने वाली है उसका नाम कुमारी रेणुका है। उसके पिता का नाम गिरधारी लाल है। वह अप्रैल 1996 में कम्पिल में वीरेन्द्र दीक्षित के आश्रम में आयी। उसकी माता श्रीमती गायत्री देवी भी थीं। ~~उसके व साथ भी~~ उनसे कहा गया कि, आपको 7 दिन का कोर्स करना होगा उस ~~दिन के~~ दौरान उन्हें किसी से मिलने की छूट नहीं थी और न ही कहीं बाहर जा सकते थे। करीब 1 वर्ष के पश्चात् मई में प्रीति और ज्योति माता के बुलाने पर वही फिर से गई। 1997 में वह पुनः कम्पिल आश्रम में वीरेन्द्र देव दीक्षित ~~उसे प्यार~~ से मिली।

और बार-बार कहने लगा यह तो भाग्यवान का घर है तुम्हारे अपने बाबा का घर है। जितने दिन चाहो यहाँ रहो। इस प्रकार की फरेबी बातों से प्रभावित होकर वह वहाँ रूक गई। उसके रूकने के 2-4 दिन बाद उसे वीरेन्द्र ने यह दिखाया कि, वीरेन्द्र देव दीक्षित उसके पिता और कमला दीक्षित माता है। यह दोनों शंकर पार्वती है। वह तन-मन-धन से इनको समर्पित है। उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातों ने उसे प्रभावित कर दिया। 2-4 दिनों के बाद ही उसे रात करीब 10.00 बजे शान्ता बहन बुलाकर ले गयी कि, बाबा उसे बुला रहे हैं। वीरेन्द्र देव दीक्षित अपने कमरे में पहले से ही मौजूद था उसने उसकी साड़ी खींच दी वह शर्म से बोली बाबा आप क्या कर रहो तो बाबा उर्फ वीरेन्द्र देव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। छूटने की कोशिश में उसके ब्लाउज के बटन टूट गये वह डर और शर्म के मारे थर-थर काँप रही थी। एक गुरू यह शोभा नहीं देता उसने कहा, बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। उसने शान्ता बहन को आवाजें दी, पर दरवाजा शान्ता ने बाहर से बन्द कर रखा था। उसने छूटने की बहुत कोशिश की बीरेन्द्र बहुत शक्तिशालयी था उसने उसके दोनों हाथ मोड़ दिये उसके ऊपर सारा बोझ डाल दिया और उसे बोलना शिव परमात्मा को याद करो। देह अभिमान छोड़ पार्वती ही थे उसकी ताकत के आगे वह लाचार थीं । उसने उसके साथ बलात्कार किया। वह रोती चिल्लाती रही और बेहोश हो गई। सुबह जब उसे होश आया तो मुझे हुआ कि, भगवान के नाम पर वीरेन्द्र देव दीक्षित ने और शान्ता बहन ने धोखा देककर उसकी इज्जत लूट ली। रात में प्रतिदिन औरतों के चीखने की आवाजें आती थी। वह वहाँ से मुक्त होना चाहती थी लेकिन जो वीरेन्द्र दीक्षित के सामने बोलता उसकी डन्डों से पिटाई करता। अब शान्ता बहन, लक्ष्मी कान्ता माता, विजय

Scanned by CamScanner

लक्ष्मी माता, हेता माता द्विती और प्रिया ~~यह सभी~~ यह सभी कम्पिल आश्रम की मुख्य भूमिका निभा रही है और वीरेन्द्र देव के बलात्कार करने में षडयन्त्र शामिल है। यह भी उसे समय-समय पर डराती थी अगर वीरेन्द्र देव की बात किसी से बतायी तो वो मुझे मरवा देंगे। नवम्बर 1997 में उसकी माँ उसे बुलाने आयी तब वीरेन्द्र देव व उसके साथियों ने उसे इस शर्त के साथ भेज दिया उसकी बात किसी को न बताऊँ। जब उसने अखबार में पढ़ा व सुना कि, कुछ बहनों ने वीरेन्द्र के खिलाफ शिकायत की है वो जेल में है तब उसने यह बयान दिया है। कृपया इसे कड़ी सजा दी जाये।

3. इस लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त वीरेन्द्र देव व शान्ता बहन के विरूद्ध थाने पर अ0सं0 68/98 धारा 376,342,109 व 114 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मामले की विवेचना एस0आई0 धर्म सिंह द्वारा की, गयी और इसका इन्द्राज जी0डी0 में किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद किया गया और उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार कर गवाहान के बयान लिये तथा विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण वीरेन्द्र देव दीक्षित व शान्ता कुमारी के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को तलब किया गया तथा मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया तथा सत्र न्यायालय से स्थानान्तरित होकर मामला इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

5. न्यायालय द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र देव के विरूद्ध धारा 376,376ग भा0दं0सं0 व अभियुक्त शान्ता कुमारी के विरूद्ध धारा

प्रतिलिपि विभाग दीवानी न्यायालय, फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

114/376 भा0द0सं0 के अर्न्तगत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

6. अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0-1 रेणुका, पी0 डब्लू0-2 कैलाश, पी0डब्लू0-3 गायत्री देवी, पी0डब्लू0-4 डाक्टर नीलम रानी, पी0उब्लू5 उपनिरीक्षक धर्मसिंह, पी0डब्लू6 डाक्टर सत्येन्द्र कुमार, पी0डब्लू07 रनवीर सिंह, पी0 डबलू8 उपनिरीक्षक रघुनन्दन पाल व पी0 डबलू 9 सत्यदेव को परीक्षित कराया गया है।

7. अभियोजन द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर प्रदर्शक-1, चिकित्सीय रिपोर्ट पदर्श क-2, क-3, क-4 एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-5, आरोपपत्र पद्रर्श क-6, चिक रिपोर्ट प्रदर्श क-7, जी0डी0 की कार्बन प्रति प्रदर्श क-8, आर0 के0 बाबू की रिपोर्ट प्रदर्श क-9, नक्शा नजरी प्रदर्श क-10, एक्स-रे प्लेट वस्तु प्रदर्श-1 दाखिल किये है।

8. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 अभिलिखित किए गए। अभियुक्तगण ने झूँठ फँसाया जाना कहा है और दो सस्थानों के बीच झगड़े की वजह झूँठ मुकदमा चलना बताया। तथा सफाई साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी डी0डब्लू0 1 कोनिका वर्मा, डी0डब्लू02 जयराम, डी0डब्लू0 3 प्रभावती व डी0डब्लू 4 सूर्याप्रभा को परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 240ए से 22 प्रपत्र व सूची 245 ए से 15 प्रपत्र दाखिल किये गये है।

9. मैंने तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का अवलोकन किया।

Scanned by CamScanner

10. अभियोजन कथानक को साबित करनेके उद्देश्य से अभियोजन की ओर से वादिनी मुकदमा पीड़िता साक्षी श्रीमती रेणुका पत्नी श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्री श्री गिरधारीलाल को बतौर साक्षी पी.डब्लू। साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, मैं बाबा वीरेन्द्र देव व शान्ता बहन को जानती हूँ। इन लोगों को मैं आज से 7 साल पहले से जानती हूँ। मैं बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के आश्रम में माह मई में आज से लगभग 7 साल पहले आयी थीं मेरे साथ में मेरी माँ गायत्री देवी आई थी। जब हमें बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित ने इससे 7 दिन का कोर्स करवाया था। 7 दिनों में सृष्टिचक का ज्ञान दिया, त्रिमूर्ति का ज्ञान दिया, कल्पवृक्ष चित्र का ज्ञान समझते थें। इन 7 दिनों के कोर्स में हमारी माताजी भी हमारे साथ में रही थीं इन 7 दिनों के कोर्स में हमें किसीसे भी मिलने की छूट नहीं थी। इन 7 दिनों में आश्रम के बाद में कहीं बाहर नहीं गयी थी। इन 7 दिनों के कोर्स के बाद मैं अपनी माँ के साथ अपने घर चली गयीं। पुनः मैं बाबा वीरेन्द्र देव के आश्रम में आई थीं। दुबारा लगभग 7 महीने के बाद वीरेन्द्र देव दीक्षित के आश्रम कम्पिल आई थीं । दुबारा जब आई थी तब तारीख व महीना याद नहीं है, सर्दी का महीना था। यह याद है कि, वीरेन्द्र दीक्षित मुझे आश्रम पर ही मिले थे। दुबारा बुलाये जाने पर मैं अपनी मम्मी के साथ आई थी। मम्मी दुबारा आश्रम पर एक सप्ताह तक रूकी थी। इसके बाद छोड़कर चली गयी थीं। अपने को तथा कमला दीक्षित को शंकर पार्वती का रूप बताया था। इसकी चिकनी चुपड़ी बातों से मैं प्रभावित हो गयी थी। पत्र लिखवाने के 2-4 दिन बाद रात को 10 बजे शान्ता बहन हमारे पास हमें बुलाने आयी थी और हमें बुलाकर वीरेन्द्र

प्रतिलिपि विभाग स्थान फर्रुखाबाद जनपद-न्यायालय, फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

दीक्षित के पास ले गयी। वीरेन्द्र देव दीक्षित उस समय अपने कमरे मे लेटे हुए थे। शान्ता बाई हमें कमरे से भेजकर के वह बाहर आ गयी थी और मुझे कमरे मे कर दिया था। वीरेन्द्र देव दीक्षित ने हमारी साड़ी पकड़कर के खींची उससे उसी समय हमारे ब्लाउज के बटन टूट गये। मेरे चिखा, चिल्लाने पर उस समय हमारी किसी ने मदद नहीं की थीं। मैंने शान्ता बहन और प्रीति बहन को आवाजें दी थी पर कोई भी मदद करने को नहीं आयी। कमरे का अन्दर से किवाड़ बन्द था। मैं वीरेन्द्र देव से छूटने की कोशिश की थीं। बाबा वीरेन्द्र ने हमारे हाथ मरोड़ दिये और जबरदस्ती हमारे ऊपर लेट गया। बाबा वीरेन्द्र देव ने हमसे कहा कि तुम पार्वती बन जाओगी, सीता माता बन जाआगी। मुझे पार्वती कहकर के मेरे साथ बलात्कार किया। बाबा वीरेन्द्र देव ने बलात्कार मेरी मर्जी के खिलाफ किया था। इस बलात्कार को बाबा वीरेन्द्र देव का सहयोग प्रीति बहन, प्रिया बहन,, शान्ता बहन व लक्ष्मी कान्ता माता ने किया था। मैं इन चारों लोगों का नाम पहले से नहीं जानती थी। कम्पिल जाने के बाद जान गयी थी। मैं आश्रम जब तक रही तब तक वहाँ चीख-पुकार की आवाजें महिला माताओ व कन्याओं की रात व दिन में आती थी। मेरे साथ जो घटना हुई थी, उसका जिक मैंने किसी से नहीं किया था। यह बलात्कार बाबा वीरेन्द्र देव ने दुवारा फिर किया था। इस घटना के 6-7 महीने के बाद मेरी माँ सर्दियों के दिन नवम्बर के महीने में आई थी। पहले तो मुझे मेरी मम्मी से मिलने नहीं दिया था फिर बाद में मिलने दिया। मुझे मेरी मम्मी के साथ भेजते समय कहा था कि, अगर घटना के बारे में किसी से कहोंगी तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को मार दिया जायेगा। घर आने के बाद मेरे पापा ने अखबार पढ़ने के बाद बताया कि, बाबा

Scanned by CamScanner

वीरेन्द्र देव पानी व बिजली का केस है तब मेरी भी हिम्मत हुई तथा मैंने सोचा कि, इसे सजा दिलवायी जानी चाहिए तब मैंने एक प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फर्रूखाबाद को लिखा था और पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया था। उसी प्रार्थना पत्र के आधार परा जाँच होने के बाद मेरा मुकदमा पंजीकृत किया था। गवाह ने प्रपत्र 4ए/3 को देखकर कहा कि यहीं वह प्रार्थनापत्र है जो मैंने घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक को दिया था। यह प्रार्थना पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। मेरा डाक्टरी मुआइना फर्रूखाबाद सरकारी अस्पताल में कराया गया तथा एक्सरे भी लिया गया थां मेरा ब्यान मजिस्ट्रेट न्यायालय में कराया गया था। धारा 164 द.प्र. सं. वादिनी का ब्यान सील्ड मोहर हालत में पत्रावली पर है। गवाह को धारा 164 का ब्यान पढ़कर सुनाया गया था, गवाह ने कहा कि यहीं यह ब्यान है। जो प्रपत्र 41ए/1 लगायत 41ए/2 है। पत्रावली पर उपलब्ध है। मैंने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया था। इसपर मेरे हस्ताक्षर हैं । दरोगाजी ने इस घटना के समबन्ध में मेरे ब्यान मेरे गाँव में लिया था। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, मैं कम पढ़ी हुई हूँ, कक्षा 5-6 तक पढ़ी हूँ। मुझे इस बात की जानकारी है कि ब्रह्मकुमार का आश्रम माउण्ट आबू में है और इस माउण्ट आबू वाले आश्रम की शाखाएं जगह-जगह पर है। माण्ट आबू वाला आश्रम पर मैंने शिक्षा ली थी। यह शिक्षा मैंने नारनोल आश्रम हरियाणा में ली थी जो इस घटना के पहले करीब 4-5 वर्ष पहले ली थी। इस आश्रम के प्रमुख रतन भाई थे। यह आश्रम मेरे घर से 7-8 किलोमीटर दूर था मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रति दिन घर से जाती थी आश्रम में नहीं रहती थीं। आश्रम से अशोक पाहूजा, कैलाश चन्द्र,

प्रतिलिपि विभाग स्थान फतेहगढ़ जिला न्यायालय, फर्रूखाबाद

Scanned by CamScanner

चतुर्भज अग्रवाल से कोई सम्बन्ध नहीं था। इनका सम्बन्ध दिल्ली वाले आश्रम से था। वीरेन्द्र देव के बारे में अखबार में मैंने पढ़ा था, पर किस अखबार में पढ़ा था, उसका नाम याद नहीं है। मैंने जब अखबार में पढ़ा था, मैंने न तो अखबार का नाम पढ़ा था न देखा था और न ही मेरे पापा ने बताया कि, कौन सा अखबार है। अखबार किस दिन, महीना व सन का था, मुझे ध्यान नहीं है और न ही हमारे पापा ने बताया था। यह कहना गलत है कि, मुकदमा बनाने के लिए मैं अखबार वाली बात बात झूँठी कह रही हूँ। इस अखबार पढ़ने के बाद किस तारीख, महीना व साल में फर्रूखाबाद आयी थी, ध्यान नहीं है। अखबार पढ़ने के बाद मैं अपनी माँ के साथ फर्रूखाबाद आई थी। मैंने फर्रूखाबाद में आकर के प्रार्थनापत्र लिखाया था और मुझे याद नहीं है कि दरख्वास्त लिखने के बाद रिपोर्ट लिखाने कहाँ गयी थीं। यह रिपोर्ट इंस्पेक्टर साहब ने कम्पिल में लिखवायी थी,। मैंने रिपोर्ट जो घटना घटित हुई थी, वैसे ही लिखायी थी। जो मैंने बोला था। वहीं इंस्पेक्टर साहब ने लिखा थां किस दिन, समय, महीना व सन् को इंस्पेक्टर साहब ने लिखा था, मैं नहीं बता सकती। मैं कोनिका वर्मन जो कलकत्ता की कन्या है, मैं जानती हूँ। कोनिका वर्मन व पिता प्राण वर्मन के बीच मुकदमें बाजी हुई थी। यह मैंने सुना था। अशोक पाहुजा, कैलाश चन्द्र, चतुर्भज अग्रवाल व श्रीमती जया, श्रीमती तारा आदि की वीरेन्द्र देव से मुकदमेबाजी हुई थीं मैंने नहीं सुना था। पहली बार कम्पिल आश्रम में, मैं किस दिन व तारीख या महीने में आई थी, मुझे ध्यान नहीं है। पहली बार मुझे इस आश्रम के बारे में जब मैं दिल्ली में मम्मी की रिस्तेदारी में गयी थी तो वहाँ पर सीता माता नाम की एक औरत ने बताया था। शादी किस तारीख,

Scanned by CamScanner

6/6

महीने में थी, मुझे याद नहीं है। इस बातचीत के एक वर्ष बाद मैं कम्पिल आयी थी। यह कम्पिल आश्रम कम्पिल में किस तरफ है, मुझे नहीं मालूम है। इस आश्रम के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या है, मुझ नहीं मालूम। इस आश्रम का गेट पूरब दिशा में है। मुख्य दरवाजे के सामने क्या है, मालूम नहीं हैं। आश्रम से मैं बाहर कम ही निकलती थी क्योंकि परमीशन नहीं थी। जब निकलती थी तब दिन में निकलती थी। आश्रम के एक दूसरे कमरे में आ जा सकती थी। मैं रोशनलाल सैनी पुत्र लल्ला चौधरी को नहीं जानती हूँ। इनसे हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई है। मै अशोक पाहूजा पुत्र मंगलदास को नहीं जानती हूँ। आज तक इनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। चतुर्भुज पुत्र गोविन्द दास न ही मैं जानती हूँ और न ही इनसे मेरी मुलाकात हुई है। दशरथ ए० पटेल पुत्र आत्मा राम पटेल को मैं नहीं जानती हूँ, न ही इनसे मेरी आज तक मुलाकात हुई, हैं। कैलाशचन्द्र पुत्र निवासी कुटाना रोड शामली मुजफ्फर नगर को मैं नहीं जानती हूँ। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि, उक्त डाक्टर अशोक पाहूजा, दशरथ ए0 पटेल, चतुर्भुज और कैलाश इस मुकदमे में गवाह हैं, या नहीं । अभी जो ऊपर गवाही के सम्बन्ध में पूँछा गया था, वहीं बात समझ में नहीं आई थी। अभी मैने जो ब्यान दिया था कि, उक्त गवाह इस मुकदमे में गवाह है, या नहीं, जानकारी नहीं है। इसका जबाव मैंने सोचकर के दिया है। मैंने रिपोर्ट में यही बात सही लिखी है कि, करीब 1 वर्ष के बाद मई में प्रीति और ज्योती माता के बुलाने पर मैं पुनः मई में 1997 में बीरेन्द्र देव के यहाँ आई थी। धारा 164 सी. आर. पी.सी. के यह ब्यान दिया था कि, एक साल बाद माह मई 1997 में अपनी मम्मी के साथ आई थी। यह ब्यान मैंने सही

प्रतिलिपि विभाग न्यायालय, फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

दिया था। कल मैने अपनी मुख्य परीक्षा में यह ब्यान सही दिया था कि, "दुबारा मैं लगभग 7 माह के बाद वीरेन्द्र देव के आश्रम में आई थी। मैं इस न्यायालय में कल जो ब्यान दिया था वह सही है। मजिस्ट्रेट के साामने जो ब्यान दिया था वह भी सही ब्यान दिया था और जो रिपोर्ट में लिखा वह भी सही है। यह कहना गलत है कि मैं तीनों ब्यानों को इसलिए सच कह रही रही हूँ कि मेरा झूँठा ब्यान पकड़ गया हो। ज्योती माता और प्रीति से मेरा परीचय जब मैं कम्पिल आश्रम में आई थी तब हुआ था, हरियाणा से कम्पिल आने के लिए किस जगह ट्रेन पकड़ी जाती है, हमें नहीं मालूम। गवाह ने लिखित तहरीर पढ़कर कहा कि, यह बात सही है कि लिखी है कि, " मेरे रुकने की 2-4 दिन बाद वीरेन्द्र देव ने मुझसे यह लिखवाया था वीरेन्द्र देव मेरे पिता व कमला दीक्षित माता है। धारा 164 द.प्र.स. के ब्यान जो कि, मजिस्ट्रेट के यहाँ दिये थे मैं, 10-15 दिन, के बाद बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित व कमला दीक्षित ने समर्पण पत्र हमसे लिखवाया था, जो सही दिया था। ~~जो सही दिया था।~~ यह समर्पण पत्र एक बार लिखाया था। जिस समपर्ण पत्र लिखाया था जब कमला दीक्षित नहीं थी, वीरेन्द्र दीक्षित थें ऊपर मैंने जो ब्यान दिया है कि, समर्पण पत्र लिखते समय कमला दीक्षित नहीं थी, भूलवश कह गयी थीं। एफ.आई.आर. में वीरेन्द्र देव ने समपर्ण पत्र लिखा था। एफ.आई. आर. समर्पण पत्र 2-4 दिन के बाद लिखे जाने वाली बात, धारा 164 द0प्र0सं0 के ब्यान में समर्पण पत्र 10-15 दिन लिखे जाने वाली बात भी सही है। यह कहना गलत है कि, समर्पण पत्र लिखाने की झूँठी कहानी को सही बनाने के लिए अपने ब्यानों को बार-बार पलट रही हूँ। मुझे याद नहीं है कि, इस घटना के कितने दिन बाद पुलिस वाले

Scanned by CamScanner

मेरे गाँव आये थे। पुलिस वाले मेरे न हम से घटना के बारे मे हमसे पूँछा था, मुझे याद नहीं है। वर्ष 1996 में मम्मी के साथ दिल्ली एक शादी में आई थी। यह बात मैंने अपनी तहरीरी रिपोर्ट में नहीं लिखी है। तहरीर में न लिखने का कोई कारण नहीं बता सकती हूँ। मुझे याद नहीं है कि, उक्त ब्यान दरोगाजी को दिया था, या नहीं । मेरी तहरीरी रिपोर्ट में यह बात कि " वर्ष 1996 में उसी शादी में के ही मिली, जिन्होंने यह ज्ञान दिया कि, वीरेन्द्र देव दीक्षित कमला दीक्षित का परमात्मा पाठ कम्पिल जिला फर्रुखाबाद में चल रहा है। यह बात मैंने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखी थी, न लिखे जाने का कोई कारण नहीं बता सकती हूँ। उक्त ब्यान मैंने दरोगाजी को दिया या नहीं, याद नहीं है और उन्होंने पूँछा था या नहीं, मुझे यह भी ध्यान नहीं है। उस माता का नाम सीता माता है जिन्होने मुझे कम्पिल का पता दिया था। सीता माता ने अच्छा ज्ञान समझाया इसलिए मम्मी भी राजी हो गई। यह बातें मेरी तहरीरी रिपोर्ट में नहीं लिखी हैं, न लिखे जाने का कोई कारण नहीं बता सकती हूँ। यह बात मैंने दरोगाजी को बतायी थी। यदि उन्होंने मेरे ब्यान में नहीं लिखी है तो मैं इसका कोई कारण नहीं बता सकती हूँ। इस घटना के बाद मैं पुलिस वालों के साथ मैं बाबा वीरेन्द्र देव के आश्रम पर कभी नहीं गयी। आश्रम में कुल 3 या 4 कमरे हैं। यह आश्रम तीन मंजिला का बना हुआ है। आश्रम में इस खाना बनाने का स्थान किस दिशा में है, ध्यान नहीं है। खाना बनाने का स्थान सबसे ऊपर मंजिला पर था। इस आश्रम में भाई, बहनें व माताए सभी थे। आश्रम में उस समय 2-3 सौ लोग रहते थे, उनमें माताएं , बहनें व भाई सभी थे। यह सही है कि, घटना के समय आश्रम माताएं, बहनें व भाई थे वह जवान अधेड

प्रतिलिपि विभाग स्थान फतेहगढ़ न्यायालय, फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

व वृद्ध सभी उम्र के थे। यह सभी अलग-2 जगहों से आये हुए लोग थे। आश्रम में महिलाओं का व भाईयों का रहने का स्थान अलग-अलग था। स्वयं कहा कि रहने के कमरे अलग- अलग थे, आश्रम एक ही है। आश्रम में हय सख्त नियम था कि माताएं , बहनें व भाई मिक्सप होकर नहीं रह सकते थे। जब ज्ञान की चर्चा चर्चा होती थी, उस समय भाई , बहन , माताएं अलग-अलग बैठाये जाते थे। उस समय भाई एवं बहनें एक हाथ की दूरी पर बैठाये जाते थे। एक तरफ भाई बैठते थे, दूसरी तरफ माताएं व बहनें बैठती थी। सभी बहनें व भाई सुबह 4 बजे नहा धोकर ध्यान के लिए बैठ जाते थे। यह बात सही है कि, सभी लोग तैयार होकर नहा धोकर सुबह 4 बजे ध्यान के लिए बैठ जाते थे। जब तक मैं आश्रम पर रही थी, उक्त नियम का सख्ती से पालन करती रही। आश्रम में बहनें भाइयोंके नहाने धोने व शौच जाने की व्यवस्था अलग-अलग थी। महिलाओं के लिए बीच में स्थान था, भाईयों के लिए साइड में था, बाबा का कमरा आश्रम के दरवाजे के सामने बड़ा गेट के सामने था। भाईयों के रहने से बाबा का कमरा कितनी दूर था, याद नहीं है। इस आश्रम में बाहर से पार्टी जाने का कोई समय निर्धारित नहीं था। घटना के समय गर्मियों का मौसम था। दुबारा जब आई थी तो गर्मी का ही मौसम था। मैने यह बात अपनी रिपोर्ट में लिखी थी कि, " मैने इस घटना की सूचना अपने घर भेजनी चाही लेकिन, चिट्ठियां फाड़ दी जाती थी।" यह बात मैंने अपनी रिपोर्ट में नही लिखा है, उसका कारण नहीं बता सकती । चिट्ठ्यां 4-5 बार भेजने की कोशिश किया था, किसके माध्यम से भेजने की कोशिश किया था, याद नहीं है। भाईयों से कहा था या बहनों से कहा था, याद नहीं है। घटना के 2-3 माह

बाद बताया था कि चिट्ठी भेजने वाली बात व मरवाने वाली बात दरोगाजी को बताने से भूलवश गयी थी। धमकी देने की दिन, तारीख याद नहीं है। 30-40 कन्याओ के लिए धमकी दिया करते थे। इन कन्याओं में किसी का नाम याद नहीं है। मैने रिपोर्ट में यह बात नहीं लिखायी थी कि, जब मम्मी आई थी तो मैने उनसे बताया कि भगवान के नाम पर बाबा ने मेरी इज्जत लूट ली। किन्तु औरतों ने मुझे धमकाया ,नाम याद नही है। मैंने कोशिश किया कि, उनके नाम क्या हैं। इन महिलाओं ने किस तारीख, महीने में धमकी दी, याद नहीं है। यह बात दरोगाजी को बताया था, या नहीं, ध्यान नहीं है। मेरे साथ 15 कन्याएं सोती थी। कन्याओं से सोने की जगह बाबा का कमरा 1-2 कदम दूर है। माताओं का कमरा बाबा के कमरे से 10-15 कदम दूर है। भाईयों का कमरा दूर था। उनका कमरा मैंने नहीं देखा था लेकिन आश्रम के अन्दर था। भाईयों का कमरा दिखाई देता था लेकिन दूरी नहीं बता सकती। इस घटना के पूर्व मैंने किसी पुरूष से सहवास नहीं किया था। मैंने बाबा को रोकने की कोशिश किया । मैंने छुड़ाने की कोशिश की, उन्हें मारा नहीं था। मैंने बाबा को नोचा खसोटा था। मुझे हाथ पैर, कमर में चोट आई थी तथा गुप्तांग से काफी खून निकला था। चोट लगने वाली बात व खून गुप्तांगों से निकले वाली बात मेडिकल एक्जामनेशन के समय बता दी थी। यह बात दरोगाजी को भी बता दी थी। कपड़े फाइने वाली बात रिपोर्ट में लिखी थी व दरोगाजी को बताया था या नहीं, लिखी है तो मैं वजह नहीं बता सकती। बाबा का कमरा कितना लम्बा चौड़ा है, मैं नहीं बता सकती। किस तारीख व महीने में घटना के आश्रम से चली , याद नहीं है। मैं अपनी माता जी के साथ गयी थी। कम्पिल एक गाँव है, थाना

Scanned by CamScanner

है, कम्पिल से सीधे फर्रूखाबाद आई थी। फर्रूखाबाद जिला है। मुझे आज तक नहीं मालूम है कि, फर्रूखाबाद में कप्तान बैठते हैं। मैं कप्तान के पास गयी थी। उसी दिन मैंने कप्तान साहब को प्रा. पत्र दिया था जो मैने हाथ से लिखकर दिया था। मैं जिस दिन आश्रम से लौट कर वापस फर्रूखाबद आई थी, उस 2-4 दिन बाद प्रा. पत्र कप्तान को दिया था। 2-4 दिन फर्रूखाबाद में रूकी थी। फटे हुए कपड़े माँ को दिखा दिया था। पुलिस को नहीं दिखाया था। अशोक पाहूजा के घर पर कोई सलाह मशविरा नहीं हुआ था। मैं मम्मी के साथ आई थी तो फर्रूखाबाद में एस.पी. साहब के यहाँ जाकर उसके आदेश पर ही एफ.आई.आर. दर्ज की थी। मैंने दरोजा जी को यह ब्यान दिया था कि, चतुर्भुज गप्ता ने..... वकील से राय मशवरा करके रिपोर्ट तैयार की गयी थी, कैसे लिख लिया, पता पता नहीं। घटना के बाद मैंने अपनी मम्मी को घर जाने के बाद सारी बात बतायी थी। जानकारी नवम्बर 1997 को दी थी। घर पर जाकर जानकारी दी थी। यह कहना गलत है कि मैंने घटना की जानकारी अपनी मम्मी को न दी हो। वीरेन्द्र देव दीक्षित के आश्रम पर घटना के बाद मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं आयी थी। घटना की बाद जाँच पड़ताल हुई थी, किसकी थी, मुझे पता नहीं है।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी.डब्लू। की माँ गायत्रीदेवी पत्नी गिरधारीलाल को बतौर साक्षी पीत्र.डब्लू3 साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि, रेणुका मेरी बेटी हैं। रामजीलाल मेरे मामा लगते थे। रामजी लाल के लड़के की शादी में, मैं आजादपुर दिल्ली आई थी। यह शादी वर्ष 1996 में अप्रैल या मई में हुई थी। इस शादी

Scanned by CamScanner

में मेरी लड़की रेणुका भी आई थी। दिल्ली मे आजादपुर में सीतामाता का एक आश्रम है। यह आश्रम कम्पिल वाले आश्रम से सम्बन्धित है। सीता माता से मेरी मुलाकात उपरोक्त शादी मे ही हुई थी। मेरे मामा के यहां से सीता माता मुझे आश्रम ले गयी थी। उन्होंनें मुझे बताया कि, कम्पिल मे शंकर का पाठ चल रहा है। तब मैंने सोचा कि, सीता माता द्वारा बताये कम्पिल आश्रम से भी ज्ञान प्राप्त किया जायें उसी समय सीता माता ने कम्पिल आश्रम का पता मुझे दिया था। मै मई 1996 में अपनी लड़की रेणुका को साथ लेकर कम्पिल में बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के आश्रम में आई थी। यहाँ आने पर वीरेन्द्र देव दीक्षित व कमला दीक्षित जोकि वीरेन्द्र देव दीक्षित की पत्नी थीं। तथा शान्ता बहन, प्रीति बहन, प्रिया बहन व अन्य तमाम कन्याओं व बहनों से मेरा परिचय हुआ। उस समय आश्रम पर करीब 40-50 कन्याएं व बहने थी। इस पर हम लोगो ने 7 दिन का ज्ञान प्राप्त किया था तथा मैं व मेरी लड़की रेणुका वापस चले गये। दूसरी बार जब मैं आश्रमपर आई तो 3-4 दिन आश्रम पर रुकी थी तथा अपनी वेटी रेणुका के आश्रम पर ही छोड़ कर चली गयी थी। दूसरी बार जब मैं लड़की को छोड़ गयी थी उसके करीब 4 माह बाद पुत्री की राजी खुशी लेने कम्पिल आंश्रम आई थी। तब मेरी पुत्री मुझसे चिपट कर बहुत राई थी। मेरी पुत्री ने मुझसे रोकर कहा कि, मुझे घर ले चलों 3-4 दिन रुकने के बाद मैं अपनी पुत्री रेणुका को लेकर अपने घर चली आयी। घर आकर लड़की ने मुझे सारी बातें बताई तथा कहा कि, बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित ने जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया और शान्ता बहन उसे जबरदस्ती उठाकर बाबा वीरेन्द्र देव के पास ले जाती थी तथा दरवाजा बन्द कर देती थी। करीब 4 माह बाद

सिविल प्रतिलिपि विभाग स्थान फतेहगढ़ ...-न्यायालय, फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

अपनी पुत्री को लेकर आई तथा रेणुका ने प्रा0 पत्र में जिसके आधार पर मुकदमा लिखा गया तथा रेणुका को डाक्टरी के लिए भेजा गया। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, चतुर्भुज को मैं जानती हूँ, यह मेरी गॉव की बहन का लड़का है। यह कलकत्ता में रहते है। आज न्यायालय से बाहर चतुर्भुज अग्रवाल से मेरी मुलाकात हुई है। यह मेरे साथ नहीं आये, स्वयं आये हैं। इस घटना के कितने दिन बाद दरोगाजी मेरे पास गये नहीं पता। सर्दियों के दिन में गये थे। दरोगाजी अकेले थे। मेरे साथ मेरी लड़की रेणुका का भी ब्यान लिया था। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस वालों ने एक ही बार पूँछतांछ मेरे गांव में आकर की और कहीं नहीं की थी। सन् 96 में पहली बार शादी के करीब 15-20 दिन बाद आश्रम कम्पिल में आई थी। मेरी लड़की साथ में थी। इसके बाद वीरेन्द्र देव दीक्षित से न मुलाकात की और न परिचय था। मेरे पास किसी का कोई पत्र नहीं था। उस दिन बाबा आश्रम में थे। शामको बाबा से मुलाकात हुई। तब मैनें 7 दिन के बाद ज्ञान प्राप्त किया। उसी 7 दिन ज्ञान प्राप्त करने को भट्ठी बोलते है। पवित्र जीवन, पवित्र रहना भट्ठी के दौरान आते आवश्यक है। भट्ठी में सभी महिलाएं साथ-2 ज्ञान प्राप्त करती थी। इन7 दिनों में माताएं, भाई, बहिनें कहां खाती है, कहा रहती है, कहां खाना बनता है, कहां सोते है। सब देख लिया था। माताओं, भाइयों , बहनों का आश्रम में अलग-2 निवास है। यह आश्रम कम्पिल कस्बे में जाने वाली मुख्य सड़क पर बना है। आश्रम की दीवाले है उनके अलावा अलग से कोई दीवार या फाटक नहीं है। फाटक के बाहर कोई दरवाजा नहीं बैठता था। आश्रम का मुख्य दरवाजे से बाबा के कमरे की दूरी करीब 50 कदम होगी। बीच मे खुला स्थान है। बाबा

Scanned by CamScanner

के कमरे में दो गेट हैं, एक सामने से है एक अन्दर से है। अन्दर वाला गेट कन्याओं के कमरे में खुलता है जहाँ पर माताएं बहनें सभी सामूहिक रूप से निवास करती है। इस कमरे से लगा हुआ बाहर एक कमरा भाईयों का कमरा है। भाइयों एवं बहनों के कमरे के बीच एक खिडकी लगी थी। सुबह प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक चलते थे तथा शाम को क्लास नहीं चलती थी। मेरे रूकने के 7 दिन के दौरान 100-200 माताएं बहने व इतने ही भाई रूके हुए थे। बाहर से लोग आश्रम के किसी भी समय आते थे और किसी भी समय चले जाते थे। मुझे जानकारी है कि, कम्पिल थाना आश्रम से करीब एक फर्लांग की दूरी पर है। इस घटना की एफ.आई.आर. लिखाने के बाद मैं कभी भी किसी पुलिस वाले के साथ आश्रम नहीं आई थी और न ही मेरी लड़की रेणुका आयी। इन 7 दिनों के दौरान मुझे आश्रम में कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं हुआ और न ही कोई शिकायत आश्रम या बीरेन्द्र देव से हुई। जिन लोगों ने मुझे अखबार दिखाया वे ब्रहमकुमार नारनौल के थे। जिनके साथ मैंने 5 वर्ष शिक्षा ग्रहण की थी लेकिन फिर भी मैं उनके नाम पते नहीं बता सकती। अखबार ब्रह्मकुमार ने पढ़कर सुनाया था। उसकी तारीख, समय व महीना व समय याद नहीं हैं , सन् याद है। यह बात मेरे दरोगाजी को बता दी थी कि, अखबार वर्ष 1996 में पढ कर सुनाया। मेरे पति को ब्रह्मकुमार ने अखबार पढ़ाया था उसका नाम नहीं मालूम, ये ब्रह्म कुमार ही थे। जिनके साथ मैंने शिक्षा ग्रहण की थी। यह कहना गलत है कि, पति ब्रह्मकुमार द्वारा अखबार पढ़नेवाली बात आज मैं फिर अदालत मे मुकदमें को रंगत देने के लिए बता रही हूँ। मुझे यह ध्यान नहीं है कि, किस दिन, तारीख, महीना में ब्रह्मकुमार ने मेरे पति को अखबार पढ़कर

सिविल प्रतिलिपि विभाग स्थान फतेहगढ़ न्यायालय, फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

सुनाया । अखबार का क्या नाम था जिसमें बीरेन्द्र देव की खबर छपी थी, मुझे याद नहीं। इस मुलाकात के बाद सीताम्माता से मेरा कोई पत्राचार नहीं हुआ था। आज तक केवल एक बार मेरी मुलाकात सीता माता से हुई। ज्योती माता तथा प्रीति बहन से मेरी मुलाकात कम्पिल आश्रम में करीब 3 बार हुई थी। इन लोगों ने मुझे कम्पिल बुलाने के लिए कोई पत्र नहीं डाला, न हीं कोई संदेश इन लोगो ने कम्पिल आश्रम पर बुलाने के लिए भेजा। ज्योती माता औार प्रीति को कभी इस घटना के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आखिरी बार मैं आश्रम में कार्तिक मास में शायद वर्ष 1996 आखिरी बार गयी थी। अकेली गयी थी। अपने पति के साथ आश्रम पर गयी थी। उस समय मेरी पुत्री कम्पिल में ही थी। वहाँ 3 दिन मैं अपने पति के साथ रूकी थी। इन कम्पिल प्रवास के 3 दिनों में मेरी व मेरे पति की मुलाकात वीरेन्द्रदेव दीक्षित से हुई थी। मुलाकात सामान्य शिष्टाचार में हुई थी। कोई मारपीट झगड़ा नहीं हुआ था। रेणुका ने अपनी बीती घटना के बारे में न मुझे में और न ही आश्रम में बताया बल्कि घर पर जाते ही बताया था। बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के कई आश्रम कम्पिल के अलावा दिल्ली, कलकत्ता आदि में है। दिल्ली आश्रम मैंने देखा है। उसमे मैं रही। बाबा वहाँ ज्ञान सुनाते है सभी लोग प्रेम से रहते है, सभी लोग कम्पिल आश्रम में माताएं, बहनें व भाई प्रेम से रहते है। किसी को कोई शिकायत मैंने बाबा की नहीं सुनी है। कम्पिल आश्रम में मैं 4-5 दिन रही। अथवा 4-5 दिन में बाबा की कोई शिकायत भाईयो, बहनों व माताओं से नहीं सुनी। बाबा पढ़ता थे सभी लोग ज्ञान सुनते थे। आश्रम का वातावरण पवित्र रहता है सब लोग मन से ज्ञान सुनते थे। बाबा ज्ञान सुनाता था माताएं, बहनें भाई सब लोग

Scanned by CamScanner

सदाचार से रहते थें सब लोग बाबा की इज्जत करते थे। मेरी नजर में कम्पिल का आश्रम पवित्र था और है। सन् 97-98 में मैं दिल्ली आश्रम में लगातार आती जाती थी। ज्ञान सुनने जाती थी। उस दौरान आश्रम का वातावरण पवित्र था आश्रम में जो भोजन बनता था वह भोजन माताएं बहनें बनाती थी और भाई , बहने सारे प्रेम से खाते थे। कहीं भी बैठ्ते उठ्ते, किसी भी माता बहन पर कोई बंदिश नहीं थी। आश्रम में रहने वाले अपने परिवार के लोगो से सम्बन्ध द्वारा फोन या चिट्ठी किसी तरह से बना सकते थो। कोई बन्दिश नहीं थी। बाहर से लोग आते थे व किसी भी समय बाबा वीरेन्द्र देव के आश्रम में आते थे और किसी भी समय ज्ञान सुनकर चले जाते थे। मेरी व्यक्तिगत रूप से बाबा वीरेन्द्र देव से कई बार मुलाकात हुई और मैने ज्ञान सुना था बाबा को मैंनें अश्लील हरकतें करते नहीं देखा था। आश्रम मे मैने किसी को नहीं बताया कि बाबा ने बलात्कार किया है। शान्ता बहन को मैंने कभी ओछी हरकत व गन्दी हरकत करते नहीं देखा था और न मैनें आश्रम के किसी भी आदमी से सुना था। आश्रम में माताएं, बहनें एक साथ रहती थीं कम्पिल आश्रम घनी आबादी के बीच में है। चारों तरफ आबादी है। आश्रम में सामने मुख्य सड़क है। मैं कलकत्ता के प्राण वर्मन से कभी नहीं मिली और न ही मैं उसे जानती है। मेरी जानकारी में कभी नहीं आया कि, बाबा वीरेन्द्र देव ने मेरी लड़की के साथ बलात्कार किया था और न ही मेरी लड़की ने आज तक बताया कि, बाबा ने मेरे साथ बलात्कार किया है। गवाह को प्रदर्श क-1 दिखाया गया तो उसको देखकर कहा कि, यह कब लिखी इसकी जानकारी नहीं है और कहा लिखी, मुझे जानकारी नहीं है। मैंने. यह ब्यान कि, मेरी पुत्री मुझसे चिपटकर

सिविल प्रतिलिपि विभाग फतेहगढ़ फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

बहुत रोई थी कि मेरी पुत्री ने मुझसे रोकर कहा कि मुझे घर ले चलो ..... मैंने लोकलाज में बदनामी के कारण किसी से नहीं कहा यह ब्यान सिखाने से नासमझी के कारण दिया था

12. अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के अन्य साक्षी कैलाश चन्द पुत्र दलेल सिंह को बतौर साक्षी पी.डब्ल्यू2 साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि, मैं बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित पुत्र स्व. सोहन लाल निवासी चैधरियान मो0 नेहरू नगर पी0एस0 कम्पिल को जानता हूँ तथा वीरेन्द्र देव को भी जानता हूँ। मैं श्यामली में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय'' में रहा। वर्ष 1994 में मैं किसी भाई के बताने पर मैं पी0एस0 कम्पिल में बाबा बीरेन्द्र देव दीक्षित के आश्रम में कम्पिल आया। मैंने प्रारम्भ में 7 दिनका कोर्स किया था तथा 1994 में ही शामली स्थित मकान बेचकर बच्चों सहित दिल्ली आ गया, दिल्ली में मैं बाबा वीरन्द्र देव के आश्रम स्थित सेक्टर 16 रोहणी में, मैं शिक्षा लेने जाता था। इसी बीच तथा बीरेन्द्र देव ने विजय बिहार में एक आश्रम बनवाना शुरू किया। इस आश्रम के निर्माण कार्य की देख-रेख मैं करता था तथा महेन्द्र वहाँ पर कमला दीक्षित का ड्राइवर था जो उनके साथ ही आता-जाता था। महेन्द्र विजय बिहार में रहता था तथा बाकी आश्रमों पर भी आता-जाता था। इसे दशरथ ए पटेल ने नौकरी में करवाया था जो कमलादेवी के साथ आता-जाता था। कमला दीक्षित पर मुझे शक होने होने लगा क्योंकि वहाँ रातों में इधर-उधर आया-जाया करती थी। राजबहादुर ने मुझे बताया कि, जिस रास्ते दुनिया पतित बनी है उसी रास्ते को बीरेन्द्र देव पावन बनाता है। मेरे ज्यादा पूँछने पर उसने बताया कि, सभी लड़कियों के साथ वह शंकर का पाठ अदा

Scanned by CamScanner

करता है तथा सैक्स करता है। महेनद्र ड्राइवर एक दिन मेरे घर पर शराब पीकर आया तथा कहा कि, वह मुझे घर खर्च के लिए पैसा नहीं देती है तथा कहा कि, बीरेन्द्र देव दीक्षित आश्रम की सभी कन्याओं तथा कमला दीक्षित के साथ भी सैक्स करता है। इसी लिए कमलादेवी वीरेनद्र दीक्षित से तंग होकर दिल्ली आयी है। मैने कमला दीक्षित व महेन्द्र ड्रावइवर को सीता माता के घर पर आपत्ति जनक स्थिति में देखा था। इसी लिए आश्रम निर्माण की सामग्री के हेर-फेर के सम्बन्ध में मुझ पर आरोप लगाने लगे। इसलिए मैंने विजय कुबहार आश्रम में 30.9.03 जाना बन्द कर दिया इस बीच बीरेन्द्र देव दीक्षित ने 50,000/- रुपये गोल्डन फौरेस्ट में मैंने जमा कराये थे। वह भी बीरेन्द्र देव दीक्षित ने हड़प लिए। डा0 अशोक पाहूजा, दशरथ पटेल, चतुर्भुज गुप्ता, रवी सवक्षेना व रामप्रताप को मैं आश्रम के जरिये ही जानता था, ये लोग दिल्ली आश्रम में भी आते-जाते थे तथा बीन्द्रदेव दीक्षित को "बाबा" तथा कमलादेवी को "जगदम्बा माता" मानते थे तथा उनके बुरे कृत्यों की जानकारी होने पर ये लोग आश्रम से अलग हो गये। कुछ दिनों बाद बीरेन्द्र देव दीक्षित दिल्ली चोरी व पुलिस मुजाहमत में जेल भेजे गये थे। जया भारद्वाज ने बीरेन्द्र दीक्षित आदि के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। जया के साथ डा0 अशोक पाहुजा, तारा बहन व मैं फर्रूखाबाद रिपोर्ट लिखाने आयी थीं तब मुझे जानकरी नहीं थी कि, कु0 रेणुका तथा मीना कुमारी ने भी बाबा बीरेन्द्र देव दीक्षित के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। जब मैं थाने पर आया तब मुझे मालूम हुआ कि, कु0 रेणुका तथा मीनाकुमारी ने भी बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के खिलाफ थाने पर रिपोर्ट लिखाई है। मुझे यह जानकारी है कि, कोनिका वर्मन द्वारा एक मुकदमा फर्रूखाबाद में

सिविल प्रतिलिपि

Scanned by CamScanner

लिखाया जिसमें मुझे भी मुल्जिम बनाया गया, जबकि मै कभी कलकत्ता नहीं गया तब मुझे यह अहसास हुआ कि, बाबा वीरेन्द्र व कमलादेवी मुझे किसी झूँठे मुकदमें में फंसा देंगे। तब अप्रैल 1998 में मैं दिल्ली से अहमदाबाद आ गया तथा अपने बच्चों सहित अलग मकान में रहने लगा। तारा, रेणुका, जया, मीना जब मैं आश्रम पर आता-जाता था तब देखा करता था। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, मेरा माउन्ट आबू के ब्रह्मकुमारी आश्रम से मेरा सम्बन्ध रहा। वहाँ मैं ज्ञान लेता था वहाँ वर्ष 1989 वर्ष 1994 तक ज्ञान लिया। मैंने सुना था कि, बाबा वीरेन्द्र ने माउन्ट आबू आश्रम छोड़कर अपना आश्रम अलग खोला है। यह मैंने वर्ष 1994-95 में सुना था। वर्ष 1994-95 मे मैं बाबा बीरेन्द्र देव के आश्रम में गया था इस आश्रम में मैंने ज्ञान प्राप्त किया था। मैं दो साल आश्रम में रहा। कभी आता, कभी चला जाता हूँ। मैंने इन दो साल में देखा कि, बाबा वीरेन्द्र देव महिलाओं से बलात्कार करता फिर कहा कि मैंने अपनी ऑखों से नहीं देखा, वहाँ पर जो स्टूडेन्ट आते थे, उनसे सुना था। मैंने सत्यता जानने की कोशिश की थी। वहां जो लोग रहते थे उन लोगों से मैंने जानकारी की थी। अशोक पाहुजा तथा राजबहादुर धुव से पूंछ था। अशोक पाहूजा ने डिटेल नहीं बतायी थी, राजबहादुर ने डिटेल बतायी थी, जया भारद्वाज ने बताया था रेणुका ने भी बताया था। आश्रम में मैं बाहर वाले कमरे में रूकाया जाता था, मुझे अन्दर वाले कमरे में नहीं जाने दिया जाता था। इसलिए अन्दर कितनी महिलाएं रहती थी, नहीं बता सकता। 1994 से 1996 के बीच मैंने बीरेन्द्र देव दीक्षित को बलात्कार तथा भ्रष्टाचार की शिकायत किसी से नहीं की। दिनांक 6.4.98 को मुझे, प्राणगोपाल वर्मन, चतुर्भुज गुप्ता पुत्र

Scanned by CamScanner

गिरिराज, दिनेश पुत्र मोहनलाल को थानाध्यक्ष कम्पिल द्वारा धारा 107, 116 व 151 सी.आर.पी.सी. में चालान किया था। मैंने 6.4.98 को जब मुझे बन्द किया गया तो मैंने आश्रम के खिलाफ बलात्कार के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। बन्द होने के बाद मैं जेल गया था एक रात जेल में, दूसरी रात अस्पताल में रहा, तीसरे दिन मेरी जमानत हुई। जेल से छूटने के बाद मैं दिल्ली चला गया तथा कोई प्रार्थनापत्र पुलिस को बलात्कार के सम्बन्ध में नहीं दिया। झगड़ा इसलिए हुआ था कि, प्राण गोपाल अपनी लड़की को लेने आया था और मैं उसके साथ मदद में आया था। मुझे जानकारी नहीं है कि, मुझे जानकारी नहीं है कि, कोनिका वर्मन को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर एस.डी.एम. कायमगंज ने छोड़ा है। मुझे जानकारी नहीं है कि, प्राण गोपाल ने एक फर्जी सर्टिफिकेट एस. डी.एम. कायमगंज के न्यायालय में कोनिका वर्मन के खिलाफ दाखिल किया है। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि, कोनिका वर्मन ने सी.जे.एम. के न्यायालय में फर्जी सर्टिफिकेट पेश करने, उसे बदनाम करने व झूँठी गवाही देने के बावत् किया है। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि, प्राणगोपाल इस मुकदमे में 8 महीने जिला कारागार में रहें। मैंने उस मुकदमें में प्राणगोपाल की जमानत 2004 में करायी थी। फिर प्राण गोपाल की कोनिका वर्मन ने जो मुकदमा प्राणगोपाल पर किया है उसकी जानकारी मुझे है मैंने भ्रमवश ऊपर अंकित ब्यान दे दिया है। जमानत करने के लिए मुझे प्राण गोपाल ने चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी डाक से भेजा था। मेरी जानकारी में दशरथ पटेल, चतुर्भुज अग्रवाल व अशोक पाहूजा वर्ष 94-95 मे बाबा बीरेन्द्र के कम्पिल आश्रम में भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं की थी। कोनिका वर्मन ने कोई मुकदमा अप0 सं0

सिविल प्रतिलिपि विभाग स्थान फतेहगढ़ फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

निल/98 धारा 366/342/323/376/511 दशरथ ए पटेल, मेरे उपर तथा चतुर्भुज अग्रवालव अशोक पाहूजा के खिलाफ किया था। जो हाई कोर्ट से स्टे हो गया। रेणुका से मेरी मुलाकात कम्पिल में ही 1997 के आसपास हुई। दिन, महीना, तारीख नहीं बता सकता। आश्रम में ही मुलाकात हुई थी। रेणुका ने आश्रम के भ्रष्टाचार के बारे में बताया, उसका दिन,तारीख, महीना याद ध्यान नहीं। फरवरी 98 में मै प्राण गोपाल के साथ मैं कम्पिल आश्रम में नहीं गया, कम्पिल थाने में गये थे। मेरे साथ चतुर्भुज गुप्ता, अशोक पाहूजा, दिनेश निवासीगण अहमदाबाद तथा रामप्रताप थे। मैंने उपर जो बयान दिया है कि, गलत बयान दिया। बल्कि सही बात यह है कि, साल में, मै 1996 मं प्राण गोपाल, अशोक पाहूजा, दिनेश, रामप्रताप, चतुर्भुज गुप्ता के साथ थाने कम्पिल गया था जहां पर मुझे भी उन लोगों के साथ थाने में बन्द कर दिया था। यह कहना गलत है कि मैं वर्ष 1998 में थाना कम्पिल में बन्द हुआ। ~~यह कहना गलत है कि मैं वर्ष 1998 में थाना कम्पिल में बन्द हुआ।~~ जे.बी. के अन्नता ~~के अनन्ता~~ ने दि0 10.4.98 को दशरथ ए पटेल , अशोक पाहूजा, रामप्रताप सिंह चौहान , चतुर्भुज अग्रवाल, श्रीमती जया शर्मा, दिनेश, एम मजूठिया, विजय राघवन , रवीश कुमार सक्सेना, प्राण गोपाल वर्मन तथा अखबार वालों के खिलाफ कोई मुकदमा किया था या नहीं। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। उपरोक्त लिखित अभियुक्तगण से मेरी जान पहचान है। इनमें से अशोक पाहूजा, रामप्रताप सिंह, चतुर्भुज अग्रवाल, दिनेश,रवीश, दशरथए पटेल, प्राण गोपाल, जया को मैं जानता हूँ। विजय को मैं नहीं जानता। मुझे जानकारी नहीं है कि , इस मुकदमे में मुझे व मेरे उपरोक्त साथियों को मजिस्ट्रेट महोदय ने प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया हो

वह मुकदमा आज भी चल रहा है। मैंने मीना कुमारी को 1996-1997 को आश्रम में एक दो बार देखा था। मैंने कभी बाबा के भ्रष्टाचार व व्यभिचार के बारे में मुझे नहीं बताया। मैं, मीना कुमारी के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने गया या नहीं मुझे ध्यान नहीं। मेरे पास कोई खेती नहीं है और न उसकी कोई आमदनी है। छोटे बैंग फुटकर रूप से बेचने के अलावा और कोई धन्धा नहीं। दो छोटे-2 बच्चें है। इस आमदनी से मेरे घर का खर्चा चलता है। वर्ष 1994-95 में मुझे बाबा के आश्रम की देखरेख का कार्य मिला था। 1995-96 में मैने दिल्ली में 25 गज का प्लाट खरीदा तथा एक कमरा बनवाया। मै अधिवक्ता रामबाबू से 1998 के आसपास मिला था। कुछ मुकदमे बाबा ने झूँठे किये थे। इस कारण मैं अधिवक्ता रामबाबू से मिला था। मुझे ध्यान नहीं कि, कितने मुकदमे किये थे। मु0 नं0 958/98 श्रीमती अन्नता बनाम अशोक पाहूजा आदि दि013.4.98 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रूखाबाद के यहाँ दाखिल किया गया है या नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं ड्राइवर महेन्द्र को 1995 से जानता हूँ। मेरा इसका साथ 1-2 साल तक रहा, मिलना-जुलना रहा था। वह कमलावती के साथ रहकर उनकी गाड़ी चलाता था। महेन्द्र ड्राइवर 1995 में मेरे घर शराब पीकर आया था, तारीख, महीना, समय याद नहीं। यह बात 1995-96 की है। निश्चित वर्ष ध्यान नहीं। मुझे महेन्द्र का अपने घर आने का मौसम याद नहीं, जाड़े का था या गर्मी का। सीता माता का घर आजाद पुर में है। उनके पति स्वर्गवासी हो चुके हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम कि, उनके बच्चे है या नहीं। आजाद पुर मेरे घर से करीब 10-12 किमी0 दूर है। सीतामाता से मेरा परिचय 1994 से हुआ। मुझे नहीं मालूम कि

Scanned by CamScanner

इनके पति कब मरे। सीता माता का घर आजादपुर में है। सीता माता के घर मैं अपने व्यक्तिगत काम से भी नहीं गया। बीरेन्द देव दीक्षित ने मेरे 50,000/- रूपये हड़प लिए। इस बाबत् मैंने किसी थाने में आज तक रिपोर्ट नहीं लिखाई । इसका कारण में कनहीं बता सकता। विजय विहार आश्रम से तथा बीरेन्द्र दीक्षित के प्रत्येक आश्रम में एक इन्ट्री रजिस्टर होता है। उसमें प्रत्येक नये आने वाले व्यक्ति का नाम इन्द्राज किया जाता है। विजय बिहार आश्रम आश्रम में मैंने जब जाता था तब इन्ट्री के दस्तखत किये होंगे। कमला दीक्षित ने बाबा बीरेन्द्र दीक्षित द्वारा स्वयं के उपर अत्याचार के बारे में मुझे नहीं बताया। न ही मैंने इस बाबत् सुना। मुझे नहीं मालूम कि, विजय विहार में इस समय कमलादेवी रहती है या नहीं। मैंने महेन्द्र ड्राइवर के अलावा और किसी से कमलनादेवी के साथ बीरेन्द्र देव द्वारा सेक्स किये जाने के बाबत् नहीं सुना। मैंने महेन्द्र ड्राइवर के उपरोक्त कथन की अन्य किसी से पुष्टि नहीं की। दि0 16.4.98 को मैं फर्रूखाबाद में इसी केस के मामले में आया था। मेरे साथ चतुर्भुज अगवाल,अशोक पाहूजा, प्राण गोपाल वर्मन तथा और लोग भी थे जिनका नाम ध्यान नहीं। मुझे ध्यान नहीं है कि 16.4.98 को मेरे साथ दिनेश भाई, रामप्रताप, श्रीमती जया भारद्वाज व श्रीमती तारा देवी थी या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि 16.4.98 को फर्रूखाबाद आने के लिए सभी लोग क्यों इक्ट्ठे हुए थे। 16.4.98 को कम्पिल के दरोगा से किस समय मुलाकात हुई यह भी ध्यान नहीं है। फर्रूखाबाद से हम लोग कब वापस गये, यह भी ध्यान नहीं है। मुझे ध्यान नहीं है कि, दिनांक 28.4.98 को फर्रूखाबाद था या नहीं। मैं मीना कुमारी को आज तक नही जानता। यह कहना गलत है कि, दि0 28.4.98 को मैं मीना कुमारी को साथ

Scanned by CamScanner

लेकर फर्रूखाबाद आया हूँ। दि0 28.4.98 को हम लोग गिन्नीलाल धर्मशाला में रूके थ्यान नहीं। घटना होने के बाद मैं किसी पुलिस वाले के साथ आश्रम नहीं गया। दशरथ ए पटेल एक पैसे वाला बहुत आदमी है। दशरथ ए पटेल का ब्यान मेरे सामने नहीं लिया। उक्त विवेचक ने मेरा एक ही बार ब्यान लिया तथा इस मुकदमे के अलावा बाबा वीरेन्द्र देव से सम्बन्धित अन्य किसी मुकदमे में मेरा ब्यान नहीं लिया। मुझे नहीं मालूम कि, चतुर्भुज अग्रवाल का ब्यान मेरे सामने हुआ, या नहीं। कम्पिल आश्रम से लगी हुई आस-पास घनी आबादी है। आसपास मकान है जिनमे लोग रहते थे। कम्पिल थाना आश्रम से करीब आधा किमी0 से कम दूरी पर है, कम्पिल मे ही है। वीरेन्द्र देव दीक्षित का कमरा आश्रम के मुख्य गेट से 15-20 कदम दूर है। मुख्य गेट व बीरेन्द देव के कमरे के बीच आंगननुमा खाली जगह है। जो करीब 10-12 फीट लम्बाई-चौड़ाई में होगी। बीरेन्द्र देव के कमरे के दो गेट है एक सामने से एक कमरे के साइड से। एक दरवाजा आंगन में तथा एक अन्दर कमरे में खुलता है। अन्दर वाले कमरे में लड़कियां व माताएं सोती थी। उससे लगा हुआ बाहर की ओर भाईयों के रहने का स्थान था। ऊपर की मंजिल में क्लास रूम था। जहां जालियों के डिवाइडर से अलग-2 बैठने की व्यवस्था थी। एक तरफ लड़कियां तथा दूसरी तरफ लड़के बैठते थे। तीसरी मंजिल पर भोजन की तथा पानी की व्यवस्था थी। जब मैं वहां था तब आश्रम में करीब 200-300 लोग हर समय रहते थे। प्रथम मंजिल के उपर जाल है तथा तीसरी मंजिल खुली जगह है। केवल भोजन बनाने के स्थानों पर तार लगे थे। वीरेन्द्र देव दीक्षित को बिजली चोरी में बन्द किया गया उसकी जानकारी मुझे अखबार से मिली थी। दिन, महीना, तारीख याद नहीं। जब मैंने अखबार पढ़ा

Scanned by CamScanner

उस समय मैं फतेहगढ़ में ही था। फतेहगढ़ में प्राण गोपाल के केस में मदद के लिए आया था। उस दिन प्राण गोपाल, अशोक पाहूजा, चतुर्भुज भी थे। मैं दो एक दिन पहले से रूका था। दशरथ ए पटेल मुझे वीरेन्द्र देव के दिल्ली आश्रम में एक दो बार मिले थे। मेरी जानकारी में है कि, बीरेन्द्र देव दीक्षित अपना आश्रम खेलने से पहले माउन्ट आबू वाले आश्रम में प्रचारक थे। मुझे जानकारी नहीं है कि, दशरथ ए पटेल भी माउन्ट आबू वाले आश्रम से जुड़े थे। मुझे जानकरी नहीं है कि, दशरथ ए पटेल "विष्णुपार्टी" नामक संस्था अलग चलती है। यह कहना भी गलत है कि, बलातकार के मुकदमे दर्ज कराने के पहले मेरे द्वारा व दशरथ ए पटेल के सहयोग से कोनिका वर्मन के पिता प्राण गोपाल वर्मन को भड़काया हो और प्राण गोपाल वर्मन द्वारा बीरेन्द्र देव दीक्षित के खिलाफ झूँठा मुकदमा दर्ज कराया है। यह कहना भी गलत है कि, जब कोनिका वर्मन ने मेरे षडयन्त्र में ,सहयोग नहीं दिया तो मैंने कोनिका वर्मन का अपहरण किया तथा उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया हो। यह कहना भी गलत है कि, जब मैं कोनिका वर्मन के प्रकरण में सफल नहीं हुआ तब बलात्कार के मुकदमे लिखाने के पहले मैं तथा मेरे सहयोगियों द्वारा बीरेन्द्र देव के विरूद्ध एक सुनियोजित अभियान फर्रूखाबाद में चलाया गया। यह कहना भी गलत है कि, आज भी मैं, दशरथ ए पटेल, गवाही न देने केलिए बीरेन्द्रदेव दीक्षित से सौदा कर रहे थे तथा जब उन्होंने इन्कार कर दिया जब मैं आज झूँठी गवाही दे रहा हूँ।

13. अभियोजन की ओर से मामले के चिकित्सक साक्षी डा0 नीलम रानीको बतौर साक्षी पी.डब्लू4 साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, दिनांक

Scanned by CamScanner

14.5.98 को इ.एम.ओ. के पद पर लोहिया अस्पताल में तैनात थीं उस दिन मैंने कुमारी रेनूका पुत्री श्री गिरधारी लाल निवासी विजय नगर थाना नारोल, जिला महेन्द्र गढ़ का डाक्टरी मुआइना 12.15 बजे अपरान्ह को किया था। जो मेरे पास महिला का॰ सी.बी नं0 889 उषा त्रिपाठी थाना कमिपल फर्रुखाबाद को लेकर आयी थी। मैंने पहचान चिन्ह अंकित किया था। मजरूबा का अंगूठा लगवाया था जिसे मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया। **बाह्य परीक्षण** मजरूबा की लम्बाई 155 सेमी. वजन 45 किलो0 तथा दाँत 16/16 थे। बगल तथा गुप्तांग के बाल मौजूद थे। स्थन पूर्ण तथा विकसित थें। शरीर के उपरी भाग पर किसी प्रकार का चोट के निशान नहीं था। **आन्तरिक परीक्षण** गुप्तांग पूर्णतया विकसित थे तथा उस पर किसी प्रकार के चोट का निशान नहीं था। हाइमन नहीं था तथा गुप्तांग में दो अंगुलियां आसानी से प्रवेश कर रही थी। मजरूबा को दो दिन से मासिक आ रही थी। मैंने वेजाइनल स्मियर बनाई और उन्हें पैथोलोजी में शुक्राणुओं की मौजूदगी जानने हेतु भेजा। मजरूबा रेनुका के स्कसरे के लिए एक्सरे डिपार्टमेन्ट को भेजा। एक्सरे से कोहनी तक कलाई के एक्सरे हेतु भेजा। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पेपर नं. 9ए मैंने वरवक्त मुआइना तैयार की थी। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है। इस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। पैथोलोजी फार्म पेपर नं0 10ए मेरे द्वारा तैयार कर भेजा गया था। इस पर डा0 वाई पी0 सिंह द्वारा दिनांक 15.5.98 को अपनी रिपोर्ट अंकित की गयी। वाई0पी0 सिंह मेरे साथ लोहिया अस्पताल में तैनात थे। मैंने उनको लिखते पढ़ते देखा है, मै उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानती हूँ। इस पर प्रदर्श क-3 डाला गयां। एक्सरे रिपोर्ट एवं एक्सरे प्लेट रेनुका आज मेरे

सिविल प्रतिलिपि विभाग फर्रुखाबाद

सामने है जो एक्सरे प्लेट पेपर नं0 9ए/3 है तथा एक्सरे रिपोर्ट 9ए/2 है तथा डा. सत्येन्द्र कुमार द्वारा तैयार की गयी थी। कु0 रेनका की आयु सम्बन्ध में व बलात्कार के सम्बन्ध में उस समय मेरे समक्ष पैथोलोजी रिपोर्ट व एक्सरे रिपोर्ट न होने के कारण मेरे द्वारा पूरक रिपोर्ट नहीं दी जा सकी थी। आज मेरे समक्ष पत्रावली पर एक्सरे रिपोर्ट, एक्सरे प्लेट व पैथोलोजी रिपोर्ट मेरे सामने है। उसे देखकर मैं सप्लीमेन्टरी रिपोर्ट तैयार कर दाखिल की है। पैथोलोजी रिपोर्ट पैथोलोजिस्ट द्वारा दि0 15.5.98 को तैयार की थी। जिसका नं034/98 था जोकि उनके द्वारा हस्ताक्षरित की गयी थी तथा जिसमें बेजाइना प्रवेश में शुक्राणु की मौजूदगी नहीं पायी गयी थी। एक्सरे रिपोर्ट रेडियोलाजिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित थी तथा दिनांक 18.7.97 को तैयार की गयी थी तथा उसका नम्बर उधादरी था जिसमें सीधी कलाई के जोड़ में सभी आर्मीफिक्केशन सेन्टर जुड़े हुए थे तथा सीधी, कलाई के जोड़ में रेडियस और अल्ना कोन के निचले हिस्से जुड़े हुए थे। मेरी राय जोकि भौतिक परीक्षण और उपरोक्त दर्शायी गयी रिपोर्ट के आधार पर बनी कु0 रेनुका की उम्र 18 वर्ष से ऊपर की थी तथा टेप के बारे में कोई निश्चित ओपीनिशयन नहीं दी जा सकती है। पूरक आंख्या पेपर नं0 83ए मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है। इसपर प्रदर्श क-4 डाल गया। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, जब मैंने डाक्टरी परीक्षण किया था, उस समय कोई एफ.आई.आर. नहीं थी। मुझे मजरूबा ने डाक्टरी परीक्षण के दौरान मुंह, हाथ पैर कमर की चोटों के बारे में नहीं बताया था। यदि बताया होता तो रिपोर्ट में उल्लेख होता। मैं बतायी हुई बातों को न लिखकर परीक्षण के आधार पर रिपोर्ट देती हूँ। विवेचक ने पूरक आँख्या तैयार करने के लिए मेरे

Scanned by CamScanner

पास प्रपत्र नहीं भेजा था। महिला घटना के समय पूर्ण बालिग थी।

14. अभियोजन की ओर से मामले के प्रथम विवेचक सेवानिवृत्त एस.आई. धर्म सिंह को बतौर साक्षी पी.डब्लू.5 साक्ष्य में परीक्षित कराया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, मई 98 में मैं थाना कम्पिल में तैनात था। दिनाक 14.5.98 को अ0सं0 68/98 धारा 376, 342,109,114 आई.पी.सी. बनाम बीरेन्द्र देव दीक्षित व एक अन्य के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना मुझ एस.आई. को प्राप्त हुई। मैंने उसी दिन नकल चिक, नकल रपट प्राप्त कर केस डायरी में अंकित किया तथा हेड कां0 रघुनन्दन लाल से पूँछतांछ कर उसका कथन अंकित किया। इसकी कार्यवाही के उपरान्त मैं चुनाव के लिए रवन्ना हो गया था। पर्चा नं0 1ए उसी दिन एस.ओ. साहब ने काटा था तथा वादिनी का ब्यान अंकित किया था। दिनांक 15.5.98 को चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी नकल केस डायरी में की तथा अभियुकतगण बीरेन्द्रदेव दीक्षित तथा शान्ता कुमारी का न्यायालय फतेहगढ़ में आकर न्यायालय की अनुमति लेकर मुल्जिम कारागार फतेहगढ़ मे 161 द0प्र0सं0 बयान लिया। दि0 25.5.98 को एक प्रा. पत्र प्रमाणित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्राप्त हुआ । जिसकी नकल केस डायरी में की। दि0 29.5.98 को शासन से मुकदमा सी.बी.सी.आई. डी. से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। जिसकी नकल केस डायरी में की। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, दिनांक 14.5.98 को थाना कम्पिल में मौजूद था। दिनांक 6.4.98 को थाना कम्पिल में था या नहीं। परन्तु तैनात था। मुझे यह जानकारी है कि, दिनांक 6.4.98 को तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री विजय सिंह द्वारा प्राण गोपाल वर्मन पुत्र

Scanned by CamScanner

आन्नद वर्मन निवासी श्याम नगर 24 परगना कलकत्ता, कैलाशचन्द्र पुत्र दिनेश चन्द्र निवासी ममहेन्द्रा फार्म थाना अजायब घर नई दिल्ली, चतुर्भुज गुप्ता पुत्र गिरिराज निवासी जगहल थाना जगहल 24 परगना उत्तर पश्चिम बंगाल एवं दिनेश पुत्र मोहनलाल नि0 गायत्री फ्लेट अहमदाबाद गुजरात को गिरफ्तार करके उनका चालान थाना कम्पिल से एस.डी.एम. कायमगंज के लिए 107, 116 द0प्र0सं0 में किया गया था। दिनांक 6.4.98 के पूर्व बीरेन्द्र देव के कम्पिल आश्रम के बारे में कोई भी शिकायत किसी भी प्रकार की मेरी जानकारी में थाना कम्पिल में नहीं हुई। मैंने वादिनी का ब्यान विवेचक के दौरान कभी नहीं लिया। मैंने इस मुकदमे का मौका मुआइना भी नहीं किया। जब तक मैंने विवेचना की मैंने घटना स्थल नहीं देखा। मैंने इस मुकदमे में मुल्जिम की गिरफ्तारी नहीं की थी। मैंने इस मुकदमे में आरोपपत्र भी प्रेषित नहीं किया। इस मुकदमें में मुल्जिमानों के ब्यान मैंने लिये थे। दौरान विवेचना मुझे रेनुका देवी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई । यह कहना सही है कि, बाबा बीरेन्द्र देव दीक्षित व शान्ता कुमारी की गिरफ्तारी में, मैं एस0ओ0 महोदय श्री विजय सिंह के साथ गयाथा व गिरफ्तार करके थाना कम्पिल अभियुक्तगण बीरेन्द्र देव दीक्षित व शान्ता कुमारी को लाये थे। पुलिस दबिश के समय दशरथ ए पटेल, अशोक पाहूजा, चतुर्भुज अग्रवाल, तारादेवी, मीना, जया आदि लोग गये थे। दौरान विवेचना मेरी जानकारी में नहीं आया कि, इस मुकदमे के घटनास्थल का मुआइना किस विवेचक ने किया, मुझे याद नही। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि, जनता के किसी भी अधिकारी ने घटना स्थल बीरेन्द्र देव आश्रम का मुआइना किया या नहीं । विवेचना के दौरान मैंने उस समय आश्रम में रहने वाले किसी महिला या पुरुष का

Scanned by CamScanner

ब्यान नहीं लिया। आश्रम के आसपास रहने वालें के भी ब्यान नहीं लिये, कम्पिल के नगर के भी किसी व्यक्ति का ब्यान नहीं लिया। तहरीरी रिपोर्ट थाने में डाक द्वारा प्राप्त हुई थी। तहरीर थाने में किस समय पहुँची मुझे ध्यान नहीं है। यह भी कहना गलत है कि, मुकदमें को रंगत देने के लिए अपने द्वारा की गयी असत्य विवेचना को सही करने के लिए झूँठा ब्यान दे रहा हूँ।

15. अभियोजन की ओर से मामले के अन्य साक्षी डाक्टर सत्येन्द्र कुमार रेडियोलोजिस्ट को बतौर साक्षी पी.डब्लू6 साक्ष्य में परीक्षित कराया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, मैं दिनांक 14.7.98 को लोहिया अस्पताल में रेडियोजिस्ट के पद पर तैनात तथा उस दिन मेरे एक्सरे संख्या 3489 के द्वारा रेनुका पुत्री गिरधारी लाल के दाहिनी कोहनी एवं दाहिनी कलाई के एक्सरे अपनी देखरेख में एक्सरे टैक्नीशियन द्वारा करवाये थें मजरूबा को एक्सरे के लियो चिकत्सिा अधिकारी डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल महिला चिकित्सालय द्वारा रैफर किया गया था तथा सी. पी. 310 गिरीश चन्द्र त्रिपाठी लेकर आये थे। दाहिनी कोहनी के एक्सरे में सभी ओमीफिकेशन सेन्टर जुड़े हुयेपाये गये। दाहिनी कलाई के एक्सरे में रेडिया औरअलना हड्डियों के निचले सिरों के ओसीफिकेशन सेन्टर भी जुड़े हुये पाये गये। एक्सरे रिपोर्ट मैने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में एक्सरे प्लेट के आधार पर तैयार की गयी थी जो कागज सं0 9ए है जिसपर प्रदर्श क-7 डाला गया। सम्बन्धित एक्सरे प्लेट 9ए/3 पर वस्तु प्रदर्श-1 डाला गया। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, मजरूबा की उम्र मैंने निर्धारित नहीं की है। यह महिला चिकित्सक द्वारा बतायी गयी है। मुझे याद नहीं है कि, पुलिस ने कोई मेरा ब्यान लिया

था या नहीं लिया था। उम्र के बारे में मुझसे पुलिस ने कोई सवाल किया या नहीं। यह भी मुझे याद नहीं है।

16. अभियोजन की ओर से मामले के द्वितीय विवेचक सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक सत्यदेव यादव को बतौर साक्षी पी. डब्लू9 साक्ष्य में परीक्षित परीक्षित कराया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, दिनाक 18.6.98 को मैं सी.बी.सी. आई.डी. कानपुर में निरीक्षक के पद पर तैनात था उस दिनमैने मु0अ0 सं0 68/98 धारा 376, 342, 109, 114 आई.पी.सी. बनाम वीरेन्द्र देव आदि की विवेचनाा ग्रहण की थी। पूर्व विवेचक एस.आई. एस.आई. धर्म सिंह द्वारा की गयी विवेचना का अवलोकन कियां मुझे विवेचना प्राप्त होने के आदेश का अअंकन केस डायरी में कियां दिनाक 24.6.98 को पूर्व विवेचना एसा.आई . धर्म सिहं का कथन अंकित किया। थानाध्यक्ष कम्पिल विजय सिंह का कथन अंकित, किया। गवाह अनुराधा का कथन अंकित किया एवं रेणुका का कथन अकित किया। दिनांक 29.6.98 को जवाहर सिंह गंगवार एडवोकेट फतेहगढ़ का कथन अंकित किया। दिनांक 14.7.98 को स्टेशन अधीक्षक कायमगंज का ब्यान अंकित किया। दिनांक .5.7.96 को ओमप्रकाश अग्निहोत्री का कथन अंकित किया। पी.वी.के. अन्ता,प्रीति पुत्री श्यामसुन्दर का क्रानि अंकित किया। दिनांक 09.07.98 को डाक्टर अशोक पाहूजा का कथन अंकित किया। श्रीमती गायत्रीदेवी का कथन अंकित किया। श्रीमती रेणुका की मेडिकल रिपोर्ट को प्राप्त करने का प्रयास किया। 12.7.98 का श्रीमती जया भारद्वाज जो अन्य मुकदमे में बादिया थी, उनसे पूछतांछ की। दिनांक 13.7.98 को चतुर्भुज गुप्ता का कथन अंकित किया। कुमारी रेणुका की निशान देही पर मौका का निरीक्षण किया गया

तथा नक्शा नजरी तैयार किया। नक्शा नजरी पेपर नं0 8ए मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जो बलिहाज मौका सही व बिसरा दर्ज है। इसपर प्रदर्श क10 डाला गया। रेणुका को एक्सरे के लिए भेजा था लेकिन उसका एक्सरे नहीं हो पाया था। दिनांक 22.7.98 को न्यायालय की अनुमति से जिला कारागार में अभियुक्त वीरेन्द्र देव दीक्षित व शान्ता कुमारी के कथन अंकित किया। श्रीमती ज्योति माता, कोनिका वर्मन आदि महिलाओं से 23.7.98 को पूछतांछ करके उनके ब्यान अकित किये। दिनांक 30.7.98 को श्रीमती उर्मिला राजपूत व तत्कालीन डी0जी0सी0क्रिमिनल विमल वर्मा से पूछतांछ की गयी। इसके बाद विवेचना मुझसे ट्रांसफर हो गयी थी। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि विवेचना प्राप्त होने के बाद पहली बार मैं 23.6.98 को विवेचना हेतु कम्पिल आया था। मैंने थाना कम्पिल की जी0डी0 में अपनी आमद नहीं की थी। दिनांक 18.6.98 को सेक्टर अफससर सी.बी. सी.आई. डी. कानपुर का आदेश मुझे विवेखना करने हेतु प्राप्त हुआ था 18.6.98 को ही मुझे इस इस प्रकरण की केस डायरी कार्यालय सी.आई.डी से प्राप्त हुई थी। मैंने सुशील शाक्य ब्यान नहीं लिया था उनके पत्र का अंकन केस डायरी में किया था। इस पत्र में लिखी तथ्यों का मैंनें केस डायरी में अंकन किया है और इसपत्र में जो तथ्य लिखे है वह सही लिखे है या गलत लिखे हैं, यह मैं नहीं जान सका था। क्योंकि विवेचना बीच में छोड़कर चला आया था। मैंने सुशील शाक्य से उनका ब्यान लेने का प्रयास किया था लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थीं। यह कहना है कि मेंने सुशील शाक्य से मिलने का कोई प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं एक ग्रुप विशेष के दबाव में काम कर रहा था। इस मुकदमे में

मैं मैंने चिक लेखक रघुनन्दन सिंहका ब्यान नहीं लिया था। दौरान विवेचना यह तथ्य मेरे प्रकाश में नहीं आया कि, एस. आई. धर्म सिंह विवेचना में कब रवाना हुये और कब वापस हुये थे। मैंने उनसे विवेचना करने के दौरान घटना स्थल पर कब गये थे, नहीं पूँछा था। धर्म सिंह उपनिरीक्षक के पास विवेचना दि0 29.5.98 तक रही थी। इस मुकदमे का नक्शा नजरी केवल मैंने बनाया था जो घटना के करीब दो महीने बनाया था, समय ध्यान नहीं है। घटनास्थल का नक्शा नजरी पीड़िता की निशान देही पर बनाया था। पीड़िता का 164 द.प्र.सं. 17.7.98 को कराया गया था। पीड़िता के साथ ब्यान के लिए उसकी माँ भी साथ आयी थी। मैंने एस.आई. धर्म सिंह का ब्यान 23.6.98 को किया था। मैंने एस.आई. धर्म सिंह से नक्शा न बनाने की बाबत् पूँछतांछ नहीं की थी। घटना स्थल से थाने की दूरी ढाई -तीन फर्लांग होगी

घटना के बाद बिना किसी देरी के थाना कैम्पिल की पुलिस गयी थी लेकिन कौन-2 गया था मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मैंने नक्शा नजरी दि0 16.7.98 को किया था। पीड़िता का ब्यान 17.7.98 को कराया गया था। दि016.7.98 को नक्शा नजरी बनाने के लिए आश्रम के आगन्तुक रजिस्टर पर दस्तखत किये थे, या हीं, ध्यान नही है। कोई रजिस्टर था भी या नहीं भी ध्यान नही है। घटना स्थल का मुआइना करते समय मैंने और किसी का ब्यान नहीं लिया था। इस बात की भी मुझे जानकारी नहीं है कि, घटना के समय आश्रम में कितने लोग बाबत् घटना मौजूद थे। घटना के बावत मैंने किसी और के ब्यान नहीं लिये थे। घटनास्थल का मुआइना करते समय महिलाएं बहुत कम थी, ज्यादातर चली गयी थी। इस बाबत् मैंने स्टेशन जाकर स्टेशन मास्टर का ब्यान

Scanned by CamScanner

लिया था। आश्रम में मौजूद महिलाओं से मैंने पूछतांछ नहीं की थी क्योंकि मैंने इस बात की आवश्यकता नहीं समझी थी। इस मुकदमे के अलावा आश्रम में रहने वाली अन्य महिलाओं ने भी बाबा वीरेन्द्र दीक्षित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करये थे वे महिलाएं तारादेवी, जया तथा मीना कुमरी थी। जिहोनें अलग-अलग अभियोग दर्ज कराये थे, जिनकी विवेचनाभी शासनादेश के अनुपालन में की थी। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में किसी बाहरी चोट का उल्लेख नहीं किया गया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि, मामले की विवेचना के दौरान किसी विवेचक ने पीड़िता के कपड़े कब्जे मेंलिये थे, या नहीं। मैंने भी कपड़ोंको नहीं देखा था। मैंने विवेचना के दौरान पीड़िता को उसके कपड़ों के बारे में नहीं पूँछा था आज खुद कहा कि, मामले की विवेचना मैंने घटना के एक साथ विवेचना की थी। मैंने मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया था। मैं इस बारे में नहीं बता सकता कि, मेडिकल रिपोर्ट से बलात्कार का होनासाबित होता है। आश्रम मे नीचे पांच -छः कमरे है आश्रम दो मंजिला है । आश्रम में औरतें आदमी दोनों रहते है। बच्चे रहते है या नहीं पता है। नक्शा नजरी तैयार करते समय मैंने आश्रम में रूकने वाले किसी आदमी या औरत का ब्यान नहीं लिया था। नक्शा नजरी कुमारी रेनुका की निशान देही पर तैयार किया था। कु0 रेनुका अपनी माता के साथ आयी थी। नक्शा नजरी तैयार करते समय कु0 रेनुका मेरे साथ मौजूद थी, रेनुका थाने मिली थी वहीं से घटना स्थल पर गये थे। इस समय ध्यान नहीं है, कु0 रेनुका ने बताया था कि, वह किसी निश्चित कमरे में नहीं रहती थी बल्कि बदलबदल कर रहते है। इन सभी कमरों को मैंने देखा था। मैंने मु0 अ0सं0 47,48 एवं 58 एवं 68 की विवेचना की थी। यह

Scanned by CamScanner

कहना गलत है कि, नक्शा नजरी तैयार करते समय वह मेरे साथ मौका मुआना कराने न गयी हो। इस बात की जानकारी मुझे है कि, कु0 कोनिका वर्मन के सन्दर्भ में उसके पिता उसे आश्रम से लेने आया था तो आश्रम वालों से उसका झगड़ा भी हुआ था तब पुलिस ने दोनों पार्टियों को धारा 151 द.प्र.सं. में बन्द किया था। यह कहना गलत है कि, मैंने बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के विरोधी पक्ष ने मिलकर झूँठे साक्ष्य एकत्रित किये हो।

17. अभियोजन की ओर से मामले के अन्य विवेचक सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक रनवीर सिंह बोरा को बतौर साक्षी पी0 डब्लू0 7 साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि, अगस्त 1998 से 29 फरवरी 2000 तक मैं लखनऊ सी.बीसी.आई डी. में निरीक्षक के पद पर तैनात था। दिनांक 11.08.98 को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (सी.बी. सी.आई.डी.) के आदेशानुसार इस मुकदमे की विवेचना मेरे द्वारा की गयी। इस मुकदमे की प्रारम्भिक विवेचना थाना कम्पिल के सब इंस्पेक्टर धर्म सिंह एवं सी.बी.सी.आई.डी. कानपुर के निरीक्षक श्री सत्यदेव यादव द्वारा की गयी। दिनांक 15.5.98 को वादिनी मुकदमा कु0 रेणुका की पैथोलोजी रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा दिनांक 20.03.99 को मेरे द्वारा कु0 रेणुका वादिनी के 164 सी.आर.पी.सी. के ब्यानों के अवलोकन न्यायालय में किया गया। दिनांक 22.03.99 कोवादिनी मुकदमा कु0 रेणुका एवं उसकी माता श्रीमती गायत्री देवी के ब्यान अंकित किए गए। दिनाक 18.03.99 को एस.आई. श्री धर्म सिंह यादव पूर्व विवेचक का एवं हेड मुर्हरिर रघुनन्दन पाल थाना कम्पिल के ब्यान अंकित किए गए। दिनांक 1.9.99 को द्वारथ ए पटेल, गवाह कैलाशचन्द्र आदि के ब्यान अंकित किए गए। दिनाक

Scanned by CamScanner

15.4.99 को डाक्टर अनिल महेश्वरी, श्रीमती सावित्री, महेन्द्र पटेल, कु0 हेमा आदि के ब्यान अंकित किए गए। दिनांक 16.04.99 को अशोक पाहूजा का ब्यान अंकित किया गया। पूर्व विवेचकगण द्वारा की गयी विवेचना के सम्बन्ध में समस्त केस डायरी तथा अन्य प्रपत्रों का गहनता से अवलोकन किया तथा पूर्व विवेचकगण द्वारा किए गए गवाहान के ब्यानात दुबारा तस्दीक किए। अभियुक्तगण बीरेन्द्र देव दीक्षित तथ शान्ता कुमारी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाया गया। अतः उनके विरूद्ध अन्तर्गत धारा 376/376ग/114 भा0द0सं0 आरोपपत्र दिनांक 29002.2000 न्यायालय में प्रेषित किया गया। कागज सं0 3ए आरोपपत्र मेरे हस्तलेख तथा हस्ताक्षर में पत्रावली पर संलग्न प्रपत्र मेरे सामने है, जिसके हस्तलेख व हस्ताक्षर को मैं शिनाख्त करता हूँ। इस प्रपत्र पर प्रदर्श क-6 डाला गया। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, कुल चार मुकदमें मुझे विवेचना हेतु मिले थे। 45/98 अप0 सं0 एवं अपराध सं0 58/98 एवं अप0 सं0 47/98 की भी विवेचना मुझे मिली। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि, अपराध सं0 47/98, 48/98 तथ 58/98 झूँठे पाये गये हो और न्यायालय से छूट गए हो, उनकी मुझे जानकारी नहीं है। उपरोक्त तीनों मुकदमों के अलावा अप0 सं0 68/98 का घटनास्थल एक ही है। इन चारों मुकदमों का मौका मुआयना मेरे द्वारा नहीं किया गया। अपराध सं0 68/98 का मौका मुआयना दिनांक 16.07.98 को वादिनी मुकदमा श्रीमती रेणुका की निशान देही पर पूर्व विवेचक सत्यदेव यादव द्वारा किया गया। कु0 रेणुका का ब्यान मेरे द्वारा लिया गया, दिनांक 23.03.99 को लिया गया। कु0 रेणुका से मैंने तारादेवी के बारे में कोई जानकारी नहीं ली थी। मीना पुत्री पुरूषोत्तम भाई पटेल

निवासी बरोजा -अहमदाबाद के बारे में भी मैंने रेणुका से कोई पूछ्तांछ नहीं की थी। दया भारद्वाज पत्नी विजय भारद्वाज निवासी शाहदरा शहदरा के बारे में भी मैंने रेणुका से पूछ्तांछ नहीं की। इनके सम्बन्ध में रेणुका नेभी कोई जिक नहीं किया। आश्रम का मैंने मौका मुआयना कभी नहीं किया। रेणुका ने मुझे यह नहीं बताया था कि, उसके कमर, हाथ, पैर, में चोट आयी थी उसने मुझे यह भी नहीं बताया था कि, उसके गुप्तांग से काफी खून बहा था। रेणुका ने मुझसे बताया था कि, बाबा ने मेरे साथ जबरदस्ती बलत्कार किया था और मैं बेहोश हो गयी थी उसने यह नहीं बताया था कि, उसके साथ बेहोशी की हालत में बाबा ने चार-पाँच बार बलात्कार किया है। रेणुका ने मुझे यह नहीं बताया था कि, बाबा ने उसकी साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज फाड़ डाला। रेणुका ने मुझे ये सभी कपड़े भी नहीं दिखाये। रेणुका ने मुझे यह नहीं बताया था कि यह शिलशिला रात दस बजे से लेकर सुबह चार बजे तक चला। गवाह कैलाशचन्द्र ने मुझे यह नहीं बताया था कि, वह मीना कुमारी के साथ थाना कम्पल रिपोर्ट लिखाने गया था। कैलाश ने मुझे यह नहीं बताया था कि, महेन्द्र कमलादेवी का ड्राइवर था और उनकी गाड़ी चलाता था। कैलाश ने मुझको कैसेट नहीं दिया था। यह सही है कि, कैलाश का ब्यान मैंने अहमदाबाद में लिया था वहाँ पर न तो मुझे कैसेट दिया और न कोई लिखा-पढ़ी हुई। घटना स्थल वाले दिन आश्रम में कितनी महिलाएं एवं बच्चे थे, विवेचना के दौरान मैंने इस बात की तफतीश नहीं की। आश्रम में घटना के समय, प्रभा माता, कु0 अनुराधा आदि के ब्यान मैंने लिए थे। उन्होंने घटना को सपोर्ट नहीं किया। मुझे गायत्री देवी ने यह ब्यान नहीं दिया था कि, ब्रह्कुमारों ने अखबार पढ़कर सुनाया था, अखबार लाने वाले

Scanned by CamScanner

ब्रह्मकुमार नारनोल आश्रम के थे। मुझे गायत्री देवी ने यह ब्यान भी कि, मेरे पति को ब्रह्मकुमार ने अखबार पढ़कर सुनाया था, नहीं दिया था। बाबा बीरेन्द्र का आश्रम दिल्ली में रोहणी में है। इस आश्रम में आगन्तुकों का रजिस्टर मेन्टेन होता है। इस आगन्तुक रजिस्टर में आश्रम में कौन आया गया, नोट होता है। रेणुका के पिता गिरधारीलाल एवं माता गायत्री देवी का आश्रम में दिनांक 14.07.98 को आना पाया गया। यह रजिस्टर मेरे सामने आज प्रस्तुत किया जा रहा है वह कम्पिल आश्रम का आगन्तुक रजिस्टर है, उसमें दिनांक 19.09.97 के कम सं0 66 पर रेणुका का नाम दर्ज है। दिल्ली के आश्रम के आगन्तुक रजिस्टर में दिनांक 06.05.98 को गायत्री माता का आना अंकित है और उनके हस्ताक्षर भी रजिस्टर पर अंकित है। कम्पिल का जो आगन्तुक रजिसटर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसमें दिनांक 10.09.1997 को रेणुका के पिता गिरधारीलाल का नाम अंकित है तथा हस्ताक्षर गिरधारी लाल के भी बने है। यह मेरी जानकरी में है कि, इस घटना से पहले कोनिका वर्मन बाबा के आश्रम में शिष्या थी, जिसे घर वापस ले जाने, उसका पिता व अन्य लोग आश्रम गए थे। कोनिका ने जाने से मना किया था, इसपर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और दोनों पक्ष 107/116/116/151 के अन्तर्गत गिरफ्तार हुए। जिसमें एक पक्ष कोनिका के पिता प्राणगोपाल वर्मन तथा कैलाशचन्द्र, चतुर्भुज एवं दिनेश थे और दूसरी पार्टी में रविन्द्रनाथ दास, राजबहादुर, सियाराम व जयराम थे। कोनिका ने फिर भी अपने पिता के साथ जाने से न्यायालय में मना कर दिया। उसे नारी निकेतन भेजा गया। कोनिका को आश्रम भेजा गया था, किसके आदेश से भेजा गया था, यह मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी यह

Scanned by CamScanner

जानकारी में आया था कि, कोनिका वर्मन ने अपने पिता के विरूद्ध उस के सन्दर्भ में न्यायालय में पिता द्वारा झूँठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाबत् अपने पिता प्राण गोपाल पर न्यायालय में धारा 464,468,471 भा0द0सं0 का मुकदमा कायम था। यह बलात्कार के घटना की पहली बात है। यह सही है कि कु0 रेणुका ने अपने ब्यान में मुझे बताया था कि, चतुर्भुज गुप्ता को मेरी माँ ने सारी बात बतायी तथा मुझे व मेरी माँ को दिल्ली में अशोक पाहूजा के घर ले गया वहां एक वकील से राय मशविरा करके रिपोर्ट तैयार की गयी। अशोक पाहूजा एवं चतुर्भुज तथा कैलाश पहले बाबा बीरेन्द्र देव दीक्षित के समर्थक थे, बाद में उनसे अलग हो गए थे। यह कहना सही है ।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के एफ.आई.आर. और जी.डी. लेखक सेवा निवृत्त उपनिरीक्षक रघुनन्दन पाल को बतौर साक्षी पी.डब्लू. 8 साक्ष्य में परीक्षित कराया हैं, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, दिनांक 14.5.98 को मैं थाना कम्पिल मैं बतौर हेड मोहर्रिर तैनात था। उस दिन कुमारी रेणुका के प्रार्थना के आधार पर मैंने मु0 अ0 सं0 68/98 धारा 376 आई.पी.सी. 342, 109,114 आई.पी.सी. बनाम बीरेन्द्र देव आदि पंजीकृत किया था। जिसकी चिक एफ.आई.आर. पेपर नं0 4ए/1 व4ए/2 है जिसे मैंने तहरीर के आधार पर शब्द ब शब्द अंकित किया था जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क-7 डाला गया। इस मुकदमे की कायमी का खुलासा मैंने रपट नं0 7 समय 6.40 ए0एम0 दिनांक 14.5.98 का ही किया था जिसकी कार्बन कापी पेपर सनं0 7ए है इसे मैंने मूल के साथ कार्बन लगाकर एक ही प्रोसिल में तैयार किया था। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है इस

Scanned by CamScanner

पर प्रदर्श क-8 डाला गया। मूल जी0डी0 नष्ट हो चुकी है जिसके नष्ट होने के सम्बन्ध में मैं रिपोर्ट आर0 के0 बाबू पुलिस कार्यालय से लेकर दाखिल कर रहा हूँ जो पेपर नं0 214ए है। आर0 के0बाबू ने मेरे सामने ही अपने लेख व हस्ताक्षर में रिपोर्ट अंकित की। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ इस पर प्रदर्शक-9 डाला गया। तहरीर वादिनी स्वयं लेकर नहीं आयी थी बल्कि तहरीर डाक द्वारा आई थी। यह कहना गलत है कि, तहरीर स्वयं वादिनी लेकर आयी हो और तहरीर इन्स्पैपेक्टर द्वारा स्वयं बोलकर दर्ज कराया हो। मूल जी0डी0 नष्ट हो चुकी है। दिनांक 14.05.98 को विवेचक की रवानगी नही है। विवेचक ने मेरा ब्यान थाने पर ही दि0 14.5.98 को लिया था तथा मेरा ब्यान धर्म सिंह विवेचक के अलावा और किसी विवेचक ने नहीं लिया था। मैंने विवेचक से तहरीर के बारे में तहरीर के बारे में पता किया था कि, तहरीर डाक्टर एस0पी0 साहब के यहाँ से आयी थी। चिक तहरीर की नकल वादिनी या उसके घर से कोई नहीं आया था बल्कि डाक द्वारा ही भेजी गयी थी। यह कहना गलत है कि, अभियोजन के दबाव में झूँठी गवाही दे रहा हूँ और मैं सही बात न बता रहा हूँ।

19. अभियुक्तगण ने अपने ब्यान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र. सं. में अभियोजन कथानक को गलत बताया तथ्य उसे मामले में रंजिशन झूँठ फंसाये जाने व साक्षीगण द्वारा झूँठी गवाही दिया जाना कहा है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण ने अपने ब्यान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में प्रस्तुत मामले के साक्षीगण के विरूद्ध पूर्व के दर्ज कराये गये मुकदमे का उल्लेख करते हुए एवं विवाद का उल्लेख करते हुए उसे मामले में रंजिशन झूँठ फंसाया जाना कहा है।

20. अभियुक्तगण की ओर से अपनी प्रति रक्षा में

Scanned by CamScanner

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 240ए से 22 प्रपत्र तथा सूची 245ए से 15 प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

21. अभियुक्तगण की ओर से अपनी प्रति रक्षा में कोनिका वर्मन पुत्र प्राणगोपाल वर्मन को बतौर साक्षी डी0डब्लू। साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, सन् 1998 में मैं कम्पिल आश्रम में थी। मेरे पिता का नाम प्राण गोपाल वर्मन है। मेरे पिता प्राण गोपाल वर्मन आश्रम पर आये थे। मेरा वारन्ट उन्होंनें निकलवाया था जो एस.डी.एम. कोर्ट से निकलवाया था। उसमें उन्होंने मुझे झूँठा नाबालिग बताया था तथा मेरे जन्म के सन्दर्भ में गलत सर्टिफिकेट दाखिल किया था। मुझे कम्पिल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 6.4.98 को वारन्ट जारी हुआ था। मैं पढ़ी-लिखी हूँ, हिन्दी पढ़ लेती हूँ। वारन्ट की सत्यापति प्रति मेरे सामने है जो पत्रावली में दाखिल है। पुलिस से मिलकर मेरे पिता ने वारन्ट जारी कराया था। मुझे नारी निकेतन भेज दिया था। मैं उस समय बालिग थी तथा 22 वर्ष की थी। मुझे मुक्त करने के आदेश 01.6.98 को जिसकी सत्य प्रतिलिपि दाखिल है। मैंने अपने पिता के खिलाफ अपनी उम्र का झूँठा प्रमाण पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में मुकदमा कायम किया था जो चला था तथा मेरे पिता जेल गये थे। मेरी बुआ संध्या देवी ने भी ब्यान दिया था जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि दाखिल कर रही हूँ। मैंने दशरथ ए पटेल, अशोक पाहूजा, कैलाशचन्द्र, चतुर्भुज अग्रवाल के विरूद्ध 156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत 06.2.98 की घटना जो मेरे साथ इन लोगों ने की थी, के सन्दर्भ में धारा 363, 366,342,323,504,506,376/511 भा0द0सं0 का प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर कार्यवाही न्यायालय में हुई थी। सत्यापित प्रति

Scanned by CamScanner

दाखिल कर रही हूँ। आश्रम का वातावरण शुद्ध है तथ सभी भाई बहिन बनकर रहते है। इन विरोधी लोगों ने मुझसे भी कहा था कि, बाबा का ग्रुप छोड़ो और हमारे ग्रुप में आ जाओ। मैं सन् 1994 तक आज तक आश्रम में हूँ। जब से आश्रम में हूँ आश्रम पवित्र रहा है और आज तक पवित्र है। विरोधियोंने बाबा को झूँठा फंसाया है। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि मेरी जन्म तिथि 13.2.1976 है। मैं बीच-बीच में दिल्ली आश्रम में भी जाती रहती हूँ। जिस दिन की घटना होना बताया है उस दिन मैं कम्पिल आश्रम में नहीं थी। मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने अपने पिता के विरुद्ध मुकदमा लिखायाँ है तब से पिता मुझसे मिलने नहीं आते- जाते।

22. अभियुक्तगण की ओर से अपनी प्रति रक्षा में जयराम पुत्र गिरधारी लाल को बतौर साक्षी डी0डब्लू2 साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, प्राण गोपाल वर्मन, कैलाशचन्द्र, चतुर्भुज व दिनेश को मैं जानता हूँ तथा रविन्द्रनाथ, करन सिंह, राजबहादुर और सियाराम को भी मैं जानता हूँ। 06.4.98 को आश्रम में प्राण गोपाल, कैलाशचन्द्र, चतुर्भुज व दिनेश ने झगड़ा किया था। पुलिस कम्पिल ने दोनों पक्षों को गिरफ्तार किया था। चालानी रिपोर्ट 140ए/5 व 140ए/6 दाखिल है कम्पिल पुलिस ने कोनिका का सर्च वारन्ट प्राप्त करने हेतु आवेदन 06.4.98 को दिया था। प्रार्थना पत्र 140ए/8 व सर्च वारन्ट 140ए/10 सत्य प्रतिलिपि दाखिल है। कोनिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसकी सत्य प्रति लिपि दाखिल है। आश्रम में बाबा ने बलात्कार किया ऐसा मैंने नहीं देखा न सुना। जबकि यह घटना दिखाई गयी है उस समय आश्रम में करीब 200 भी मैं जानता हूँ। 06.4.98 को आश्रम में प्राण गोपाल

Scanned by CamScanner

भाई, बहिन रहते थे तथा अन्य का आना जाना रहता था। जिन लोगों ने झगड़ा किया था उनके नाम मैंने ब्यान मे उपर बताये वही लोगों ने झूँठे मुकदमे डलवाये तथा मुकदमों के गवाह हुये। ऐसा इन लोगों ने बाबा के विरोधियो से मिलकर बाबा को बदनाम करने के लिए किया था। कम्पिल कस्बे का कोई आदमी इस मुकदमे में गवाह नहीं है। कम्पिल आश्रम मुख्य मार्ग पर है तथा आस-पास लोग रहते है। आश्रम में 100 माता बहिनें हर समय रहती है। आश्रम में कोई अपवित्रता आज तक नहीं हुई है। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, मैं इस आश्रम से सन् 1985 अप्रैल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आश्रम में क्लास करके अपने घर चला जाता हूँ तथा आवश्यकता होने पर रूक जाता हूँ। यह मेरी जानकारी में आया था कि, बाबा के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है। सबसे पहले मुझ में व विरोधी पार्टी मे झगड़ा हुआ था और बन्द हुये थे तथा बाबा की पार्टी में था। यह कहना गलत है कि, बाबा की पार्टी में होने के कारण उसे बचाने के लिए झूँठी गवाही दे रहा हूँ।

23. अभियुक्तगण की ओर से अपनी प्रति रक्षा में प्रभावती पुत्री दत्तात्रेय को बतौर साक्षी डी0डब्लू3 साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, मैं पहले ब्रहमकुमारी संस्था में थी तथा सन् 1992 से बाबाजी के आश्रम में आ गयी तथा लगातार बाबाजी के आश्रम में रहकर ज्ञान का प्रसार व प्रचार कर रही हूँ। कम्पिल आश्रम में एन्ट्री रजिस्टर रहता है। जिसमें आने वाले का नाम लिखा जाता है और जाते समय तारीख नोट की जाती है। दिल्ली आश्रम जो विजय विहार रोहिणी में है उसमें भी एन्ट्री रजिस्टर बनता है। दिल्ली आश्रम का एन्ट्री

Scanned by CamScanner

रजिस्टर 1987,1998 में मेरे सामने है और क्लास रजिस्टर दिल्ली आश्रम का मेरे सामने है। इसकी मूल मेरे सामने है फोटो स्टेट मैंने दाखिल की है। पेपर सं0 145ए/5 पर जया माता के हस्ताक्षर हैं मैं इनको पहचानती हूँ। 26.4.97 में रेणुका के हस्ताक्षर है। रेणुका जो इस मुकदमे की वादिनी है। उसके हस्ताक्षर भी पहचानती हूँ। कागज सं0 145ए/8 छाया प्रति मेरे सामने है तथा मूल भी मेरे सामने है। 28.4.97 का क्लास रजिस्टर मेरे सामने है इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 30.4.97 का क्लास रजिस्टर सामने है इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 01.5.97 का क्लास रजिस्टर मेरे सामने है इस पर भी रेणका के हस्ताक्षर है तथा 02.5.97 को क्लास रजिस्टर भी मेरे सामने है इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 05.5.97 को क्लास रजिस्टर भी मेरे सामने है इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 08.5.97 को क्लास रजिस्टर भी मेरे सामने है इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 10.5.97 को क्लास रजिस्टर भी मेरे सामने है इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 14.5.97 को क्लास रजिस्टर भी मेरे सामने है इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 15.5.97 को क्लास रजिस्टर भी मेरे सामने है इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 19.5.97, 20.5.97, 26.5.97,30.5.97,01.6.97,02.6.97,03.6.97,15.6.97,16.6.97, 29.6.97, 30.6.97, 01.7.97, 02.7.97, 03.7.97, 04.7.97, 05.7.97, 06.7.97, 30.7.97, 31.7.97, 1.8.98, 3.8.98, 4.8.98, 5.8.98, 15.8.98, 16.8.98, 17.8.98, 30.8.98, 31.8.98, 01.9.97, 02.9.97, इन तारीखों पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है रजिस्टर की प्रति दाखिल है। दिल्ली आश्रम का क्लास रजिस्टर मूल मेरे सामने है इस पर 18.5.97 पर

Scanned by CamScanner

इस मुकदमे के साक्षी कैलाशचन्द्र के हस्ताक्षर है। 19.5.97 पर भी कैलाशचन्द्र के हस्ताक्षर है। 27.5.97 पर पर कैलाशचन्द्र के हस्ताक्षर है। 30.5.97, 1.6.97 पर भी कैलाश चन्द्र के हस्ताक्षर है। इस प्रकरण के साक्षीगण जया माता, विमलेश जो कैलाश की पत्नी है उसके भी हस्ताक्षर है। कम्पिल आश्रम का एन्ट्री रजिस्टर मेरे सामने है जिस पर इस प्रकरण के साक्षी चतुर्भुज गुप्ता, कैलाश वं चर्तुभुज , जया के हस्ताक्षर है। दिल्ली आश्रम का रजिस्टर एन्ट्री मेरे सामने है जिसमें वादिनी रेणुका की माँ गायत्री माता के हस्ताक्षर दिनांक 06.5.98 के हैं। इस प्रकरण की वादिनी रेणुका को आगे करके व अन्य कुछ महिलाओं को आगे करके दशरथ पटेल, चतुर्भुज, कैलाशचन्द्र, व अशोक पाहूजा ने बाबा को नीचा दिखाने के लिए यह झूँठे मुकदमें कायम कराये थे। मई 1997 से अपले और बाद तक मैं कम्पिल आश्रम में था। उन दिनों आश्रम में 100,130 व 120 श्रद्धालू हर समय रहते थे। माताएं बहनें व भाई आश्रम में रहते थे। मई 1997 व पूरे वर्ष में लगातार आश्रम में रही और ऐसी कोई घटना नहीं हुई। बाबा का कोई कमरा जिसको बाहर से बन्द किया जा सके, ऐसा नहीं था। बाबा खुले में विश्राम करते थे। ऐस कोई कमरा नहीं थ जिसमें बाबा रात्रि विश्राम करते हैं और वह बाहर से बन्द किया जा सके। द्रौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि मेरी जन्म तिथि 22 जून 1941 है। मैं मूल निवासी हैदराबाद की हूँ। आश्रम में पद माता का है। आश्रम में जो भी श्रद्धालू आते हैं उनका नामांकन आगतुक रजिस्टर में करती हूँ तथा ज्ञान देती हूँ। हमारे पूरे भारत में 30-35 आश्रम हैं उनमें आना-जाना रहता है। जिस दिन की घटना बतायी गयी है उस दिन मैं कम्पिल आश्रम में मौजूद थी। पुलिस ने घटना के सम्बन्ध में

मेरा बयान लिया था। मैं इस आश्रम में सन् 1992 से आयी थी।

23 अभियुक्तगण की ओर से अपनी प्रति रक्षा में सूर्य प्रभा पुत्री नरसिंह राव को बतौर साक्षी डी0डब्लू4 साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं सन् 1987 से ज्ञान में हूँ। मैं 1997 के पूरे वर्ष कम्पिल आश्रम में रही। 1998 में भी मैं कम्पिल आश्रम में रही। जया माता, मीना, तारा, रेणुका को मैं जानती हूँ। सन् 1997,1998 में इनके साथ कभी कोई दुर्व्यबार कम्पिल आश्रम में नही हुआ। आश्रम में हर समय 150-200 माताएं बहनें रहती है। बाबा के विरूद्ध झूँठे मुकदमें इसलिए लगाये गये क्योंकि बाबा की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी तथा ब्रह्म कुमारी आश्रम से टूट-2 कर लोग बाबा के आश्रम में आ रहे हैं। दशरथ ए पटेल, कैलाश, चतुर्भुज, अशोक पाहूजा, ने ये पूरा षडयंत्र किया। ये लोग दूसरी पार्टी से मिले हुए थे। आश्रम में पूर्ण पवित्रता रहती है। भाई बहिनों को समान दर्जा दिया जाता है। सभी भाई बहिन पवित्रता से रहते है। कम्पिल आश्रम में बाबा का कोई कमरा नही था। जिसमें दरवाजे है और बाबा उसमें रहते रहते हो। बाबा जहाँ आकर रहते थे वो किचिन के पास खुले में रहते थे। विवेचना के समय मैंने व अन्य बहिनों ने पुलिस को यह बात बताई थी। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि आश्रम में एक कमरा, एक हाल तथा ऊपर चार कमरे है। मैं ऊपर रहती हूँ। बाबा नीचे रहते हैं। जहाँ बाबा रहते है तथा यहाँ मैं रहती हूँ। उसके बीच 10 सीढ़ियां है। मैं अपने घर आती-जाती हूँ और आश्रमों में भी आती-जाती रहती हूँ। यह कहना गलत है कि घटना वाले दिन मैं आश्रम में नहीं रही हूँ। यह कहना गलत है कि आज मुझे बाबा ने गवाही के लिए भेजा है।

Scanned by CamScanner

24. अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना की रिपोर्ट एक वर्ष विलम्ब से दर्ज कराई गयी है। विलम्ब का कोई पर्याप्त एवं सन्तोष जनक कारण नहीं बताया गया है। इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित कथन संदिग्ध हो जाते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई दिनांक उल्लेखित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण को मामले में रंजिशन झूँठा फंसाया गया है। साक्षीगण पी.डब्लू2 व पी.डब्लू3 घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं है और नहीं उनके द्वारा कोई घटना देखी गयी है। घटना के समय घटना स्थल आश्रम पर दो सौ लोगों का उपस्थित होना बताया गया है किन्तु उनमें से किसी व्यक्ति को घटना का साक्षी नहीं बनाया गया है और नहीं उसे साक्ष्य में परीक्षित ही कराया गया है। नक्शा-नजरी किसी निशान देही पर बनाया गया है यह साबित नहीं होता है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से बलात्कार किए जाने की कोई पुष्टि नहीं होती है। इसी प्रकार की घटना को गलत बनाकर अभियुक्त के विरुद्ध तीन अन्य मुकदमें भी दर्ज कराए गए थे जिनमें अभियुक्त को दोष मुक्त किया जा चुका है। प्रस्तुत मामले की घटना भी संदिग्ध साबित होती है। क्योंकि यदि कोई घटना साक्षी पी.डब्लू। साथ वास्तव में घटना घटित होती और उसने घटना स्थल पर शौर मचाया होता तो अवश्य ही इस आश्रम में मौजूद लोगों द्वारा सुना जाता। इसके अतिरिक्त पीड़िता इस घटना को आश्रम में उपस्थित लोगों से बताती और तत्काल थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने जाती और ऐसा होने पर तत्काल उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जाता। जिससे बलात्कार की पुष्टि हो सकती थी। किन्तु पीड़िता द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है और घटना के एक वर्ष बाद यह रिपोर्ट थाने पर दर्ज करायी है।

Scanned by CamScanner

जिसमें कोई सत्यता नहीं है। अभियुक्त को रंजिशन झूँठा फंसाया गया है। पीड़िता के साथ बलात्कार की कोई घटना नहीं हुई है। साक्षीगण की साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभाषा है। अभियुक्तगण दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

25. इसके विरूद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, साक्षी पी.डब्लू। की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। साक्षीगण की साक्ष्य में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभाष नहीं है। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप सत्य साबित होते है। अभियुक्तगण दोष सिद्ध किए जाने योग्य हैं।

26. अभियुक्तगण वीरेनद्र देव दीक्षित व शान्ता कुमारी पर यह आरोप है कि, दिनांक 07.05.97 को समय करीब 10 बजे रात्रि घटना स्थल वीरेन्द्र दीक्षित के आश्रम स्थित कम्पिल फर्रूखाबाद में वादी मुकदमा कु0 रेणुका के साथ जबरजस्ती उसकी इच्छा के विरूद्ध बलातकार किया तथा अभियुक्त शान्ता कुमारी अभियुक्त को इस हेतु दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार अभियुक्त वीरेन्द्र देव दीक्षित पर भा0द0सं0 की धारा 376 व 376ग तथा अभियुक्त शान्ता कुमारी पर भा0द0सं0 की धारा 114/376 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप हैं।

27. अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के उद्देश्य से घटना को एक मात्र साक्षी पी.डब्लू। कु0 रेणुका को ही साक्ष्य मे परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त, घटना के किसी अन्य चश्मदीद साक्षी को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है । तथ्य सम्बन्धी साक्षीगण पी.डब्लू2 व पी.डब्लू3 घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं है। शेष साक्षी अभियोजन साक्षीगण मामले के

Scanned by CamScanner

औपचारिक साक्षी है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में घटना की एक मात्र साक्षी पीड़िता पी.डब्लू। ही है।

28. प्रस्तुत मामले मे घटना दिनांक 7.5.97 को रात्रि 10 बजे की बतायी गयी है जबकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.5.98 को अर्थात घटना के एक वर्ष एक सप्ताह गुजरने के पश्चात् दर्ज करायी गयी है।

29. अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में पीड़िता साक्षी पी.डब्लू। ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि , " रात के 10 बजे शान्ता बहन हमारे पास हमें बुलाने आई थी और हमें बुलाकर के वीरेन्द्रदेव दीक्षित के पास ले गयी। वीरेन्द्र देव दीक्षित उस समय अपने कमरे में लेटे हुए थे, शान्ता बाई हमें कमरे में भेजकर के वह बाहर आ गयी थी और उसे कमरे में बन्द कर दिया। वीरेन्द्र दीक्षित ने हमारी साड़ी पकड़कर के खींची। उसके उससे उसी समय ब्लाउज के बटन टूट गये। मैंने चीखा चिल्लाया था, पर उस समय हमारी किसी ने मदद नहीं की थी। मैंने वीरेन्द्र देव दीक्षित से यह कहा कि, भगवान के नाम पर यह क्या कर रहे हैं, उसने शान्ता बहन और प्रीति को आवाजें दी थी, पर कोई भी उसकी मदद करने को नहीं आया। कमरे का दरवाजा अन्दर से बन्द था मैंने बाबा वीरेन्द्र देव से छूटने की कोशिश की थी। बाबा वीरेन्द्र देव ने हमारे हाथ मोड़ दिये और जबरदस्ती मेरे ऊपर लेट गया। बाबा वीरेन्द्र देव ने मुझसे कहा कि, तुम पावर्ती बन जाओंगी, सीता माता बन जाओंगी। मुझे पावर्ती कहकर मेरे साथ बलात्कार किया। बाबा वीरेन्द्र ने बलात्कार मेरी मर्जी के खिलाफ किया था। इस बलात्कार में बाबा वीरेन्द्र देव का सहयोग, प्रीति बहन, प्रिया बहन, शान्ता बहन व लक्ष्मी माता ने किया था। इस प्रकार इस साक्षी ने

प्रतिलिपि स्थान फतेहगढ़ न्यायालय

Scanned by CamScanner

अपनी साक्ष्य में अभियुक्त वीरेन्द्र देव दीक्षित , अभियुक्ता शान्ता देवी, के सहयोग से बलात्कार किया जाना कहा है। चूँकि प्रस्तुत मामले में घटना की रिपोर्ट घटना घटित होने के एक वर्ष पश्चात दर्ज करायी गयी है। अतः प्रश्न विचारणीय है कि, क्या साक्षी पी. डब्लू.1 द्वारा किया गया यह कथन सत्य एवं विश्वसनीय है, साथ ही साथ यह जानना आवश्यक हो जाता है कि, क्या घटना घटित होते समय घटना स्थल पर एवं उसके आसपास कोई व्यक्ति मौजूद था जिसने घटना घटित होते हुए देखा है या सुना है। सामान्यतः बलात्कार जैसा अपराध करते समय अपराधी निर्जन एवं एकान्त स्थान को ही चुनता है। जिससे वह घटना कारित करने में सफल हो सके किन्तु प्रस्तुत मामले की स्थिति भिन्न है। पीड़िता साक्षी पी. डब्लू.1 ने बलात्कार की घटना अभियुक्तगण द्वारा आश्रम के अन्दर किया जाना कहा है और घटना की प्रथम सूचना घटना घटित होने के एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त दर्ज करायी गयी है। अतः घटना की सत्यता को जाँचने के लिए मेरे विचार से सम्पुष्टि कारक साक्ष्य का होना प्रस्तुत मामले में आवश्यक होता है। पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा है कि, आश्रम में कुल 3 या 4 कमरे है। यह आश्रम तीन मंजिला का बना है। खाना बनाने का स्थान सबसे ऊपर था। इस आश्रम में भाई, बहन व माताएं भी रहते थे, उनमें माताएं, बहनें व भाई सभी थे। यह कहना सही है कि, घटनाके समय आश्रम में जो माताएं , बहनें व भाई थे, वह जवान, अधेड़ व वृद्ध सभी उम्र के थे। यह सभी अलग-2 जगहों से आये हुए लोग थे। बाबा का कमरा आश्रम में दरवाजे के सामने बड़ा गेट के सामने था, मेरे साथ 15 कन्याएं सोती थी, कन्याओं के सोने के जगह से बाबा का कमरा 1-2

[illegible]

कदम दूर है माताएं का कमरा बाबा के कमरे से 10-15 कदम दूर है, भाईयों का कमरा दूर था लेकिन आश्रम के अन्दर था। भाईयों का कमरा दिखायी देता था लेकिन दूरी नहीं बता सकती।"

इस प्रकार इस साक्षी के स्वयं के कथनानुसार घटना वाले दिनांक व समय पर घटना स्थल आश्रम में 2-3 सौ लोग हर समय रहते है, जिनमें पुरुष महिलाएं व लड़कियाँ भी मौजूद थे। यहीं नहीं पीड़िता जिस कमरे में सो रही थी उस समय भी 15 लड़कियां मौजूद थी, जोंकि घटना वाले कमरे से 2-3 कदम की दूरी पर ही रह रही थी। पीड़िता साक्षी पीडब्लू1 ने अपनी साक्ष्य में यह भी कहा है कि, जब उसके साथ अभियुक्त ने बलात्कार करना चाहा तब उसने काफी शोर मचाया था। इस प्रकार यदि पीड़िता के साथ वास्तव में घटना घटित हुई थी और उसने शोर मचाया था तो कम से कम आसपास के कमरों से मौजूद लोंगों द्वारा इसे अवश्य ही सुना जाता है और देखा जाता है किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से घटना घटित होते हुए घटना स्थल पर मौजूद किसी भी ऐसे साक्षी को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है जिसने अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता के साथ घटना कारित करते हुए देखा हो। इस सम्बन्ध में विवेचक साक्षी पी.डब्लू7 ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, घटना वाले दिन आश्रम में कितनी महिलाएं थी एवं बच्चे थे? विवेचना के दौरान मैंने इस बात की तफतीश नहीं की थी। आश्रम में घटना के समय प्रभा माता, कु0 अनुराधा आदि के ब्यान मैंने लिये थे उन्होंने घटना का सपोर्ट नहीं किया था। इस प्रकार विवेचक द्वारा भी घटना स्थल पर घटना घटित होते समय उपस्थित महिलाओं एवं पुरूषों से घटना की सत्यता के सम्बन्ध में कोई जानकारी एकत्रित नहीं की गयी है, जिन महिलाओं के ब्यान विवेचक द्वारा लिये गये हैं उन्होंने घटना वाले दिन व समय

Scanned by CamScanner

पर अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने से इन्कार किया है। इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण की ओर से अपनी प्रति रक्षा में घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद साक्षी डी.डब्लू2 प्रभावती पुत्री दत्तात्रेय को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, मई 1997 से पहले और बाद तक मैं कम्पिल आश्रम मे थी उन दिनों आश्रम में 100,130 व 120 श्रदालू हर समय रहते थे, माताएं, बहनें भाई आश्रम में रहते थे। मई 1997 व पूरे वर्ष में लगातार आश्रम में रही, पर कोई कमरा जिसका जिसका बाहर बन्द किया जा सके, ऐसा नहीं था। बाबा खुले में विश्राम करते थे, ऐसा कोई कमरा नहीं था जिसमें बाबा रात में विश्राम करते हो और बाहर से बन्द किया जा सके। जिस दिन की घटना बतायी गयी है, उस दिन मैं कम्पिल आश्रम में मौजूद थी। पुलिस ने घटना के सम्बन्ध में मेरे बयान लिये थे। मैं आश्रम में सन् 1992 से आई थी। इसी सम्बन्ध में साक्षी डी. डबलू4 सूर्याप्रभा पुत्री नरसिंह राव ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, मैं 1997 के पूरे वर्ष कम्पिल आस्म में रही। 1998 में भी मैं कम्पिल आश्रम में जया माता, मीना, तारा, रेणुका को मैं जानती हूँ। सन् 1997, 1998 में इनके साथ कभी कोई दुर्व्यवहार कम्पिल आश्रम में नहीं हुआ। आश्रम में हर समय डेढ़ दो सौ माताएं बहनें रहती है। आश्रम में पूर्ण पवित्रता रहती है। सभी भाई बहन, व माताएं पवित्रता से रहते हैं। कम्पिल आश्रम में बाबा का कोई कमरा नहीं था जिसमें दरवाजा हो और बाबा उसमें रहते हो। बाबा जहाँ आकर रहते थे वे किचन के पास खुले में रहते थे। विवेचना के समय मैंने व अन्य बहनों ने पुलिस को यह बात बतायी थी। दौरान जिरह भी इस साक्षी ने कहा है कि आश्रम में एक कमरा, एक हाल

तथा उपर 4 कमरें है। मैं उपर रहती हूँ बाबा नीचे रहते हैं। जहाँ बाबा रहते हैं तथा जहाँ मैं रहती हूँ उसके बीच 10 सीढ़ियां हैं। सीढ़ी खत्म होते ही मेरा कमरा है। मैं उसी में रहती हूँ। यह कहना गलत है कि, घटना वाले दिन मैं आश्रम में नहीं रही हूँ। इस प्रकार इन दोनों प्रतिरक्षा साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में घटना वाले दिन समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 के साथ कोई भी घटना कारित होने से, केवल अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार करने से इन्कार किया है। इस प्रकार घटना घटित होते समय घटना के आसपास पर्याप्त संख्या में लोग मौजूद थे, पीड़िता जिस जगह पर लेटी हुई थी और जहाँ से उसे उठाकर अभियुक्त वीरेन्द्र देव दीक्षित के कमरे में ले जाना कहा गया है, उसमें भी उस समय 15 लड़कियां मौजूद थी किन्तु जिनमें से किसी भी लड़की को अभियोजन की ओर से न तो साक्षी बनाया गया है और न ही साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है जिससे घटना घटित होते हुए साक्षी पी.डब्लू.1 द्वारा किये किये गये कथनों की पुष्टि हो सकें।

30. पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 घटना घटित होने के बाद आश्रम के किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बताया है कि, अभियुक्त वीरेन्द्र देव दीक्षित, अभियुक्ता शान्ता बहन के सहयोग से जबरन बलात्कार किया। साक्षी पी.डब्लू.1 ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि, उसने अभियुक्तगण उसके साथ की गयी बलात्कार की घटना के बारे में आस्म में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया। जबकि साक्षी पी.डब्लू.1 के कथनानुसार उसे इस बात का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ था कि, वह साथ हुई घटना को आश्रम में उपस्थित लोगों को घटना घटित होने के बारे में बता सकती

थी। यही नहीं उसे आश्रम से बाहर जाने का अवसर प्राप्त होता था। जैसा कि उसने अपनी साक्ष्य में भी कहा है कि, आश्रम से मैं बाहर कम ही निकलती थी जब निकलती थी दिन में निकलती थी। आश्रम के एक दूसरे कमरे में आ जा सकती थी। इस प्रकार पीड़िता को अपने साथ हुई घटना बताने का एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का पूर्ण अवसर प्राप्त था। इसके बावजूद उसकी घटना के तत्काल बाद अथवा 2-4 दिन बाद अपने साथ हुई बलात्कार की घटना के बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया। इस बाबत् पीड़िता पी.डब्लू। का यह कथन है कि, उसे जान से मारने की धमकी दी गयी थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। किन्तु पीड़िता साक्षी पी.डब्लू। अपनी साक्ष्य में यह बताने से असमर्थ रही है कि, उसे किस व्यक्ति द्वारा आश्रम में धमकी दी गयी थी। यह सभी ऐसी परिस्थितियां है जो साक्षी के साथ अभियुक्तगण द्वारा की गयी घटना के बाबत् किये गये कथनों को संदिग्ध बनाती है।

31. पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण भी हुआ है जिसमें चिकित्सक साक्षी के कथनानुसार बलात्कार जैसी घटना घटित होने की पुष्टि नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि, बलात्कार की घटना घटित के एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त पीड़िता साक्षी पी.डब्लू। का चिकित्सीय परीक्षण हुआ है। अतः इसमें बलात्कार की पुष्टि होना सम्भव नहीं है। इसके विरूद्ध अभियुक्तगण की ओर से यह कहा गया है कि, पीड़िता साक्षी पी.डब्लू। का चिकित्सीय परीक्षण घटना घटित होने के एक वर्ष बाद कराये जाने में अभियुक्तगण का कोई दोष नहीं है बल्कि इसके लिए स्वयं पीड़िता साक्षी ही दोषी है। यदि

Scanned by CamScanner

वह समय से घटना घटित होने की रिपोर्ट दर्ज कराती और उसका समय से चिकित्सीय परीक्षण होता तो यदि वास्तव में उसके साथ बलात्कार जैसी कोई घटना घटित हुई होती तो उसकी पुष्टि चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से हो सकती थी। मै अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये इस तर्क से पूर्णतया सहमत हूँ क्योंकि पीड़िता साक्षी पी.डब्लू। ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, वह घटना के समय कुंवारी थी और घटना से पूर्व उसने किसी भी पुरूष के साथ सम्भोग नहीं किया था। ऐसी परिस्थिति में यदि पीड़िता साक्षी पी.डब्लू। ने घटना घटित होने के तत्काल पश्चात् घटना घटित होने की रिपोर्ट लिखायी होती और उसकी तत्परता से चिकित्सीय परीक्षण हुआ होता तो उसके साथ बलात्कार की घटना की पुष्टि चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भी हो जाती। जोकि पीड़िता साक्षी द्वारा नहीं किया गया। अतः इस आधार पर मेरे भी विचार से अभियोजन पक्ष को उसकी ओर से प्रस्तुत किये गये इस तर्क का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है बल्कि इसका लाभ अभियुक्तगण को ही प्राप्त होता है और इस प्रकार मेरे विचार से चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट और चिकित्सक साक्षी के आधार पर भी साक्षी पी.डब्लू। द्वारा बलात्कार किये जाने सम्बन्धी किये गये कथनों की पुष्टि नहीं होती है।

32. पीड़िता साक्षी पी.डब्लू। ने अपनी साक्ष्य में यह भी कहा है कि, घटना घटित होते समय उसके कपड़े फट गये थे किन्तु उसने फटे हुए कपड़ों को पीड़िता ने तो विवेचक की सुपुर्दगी में दिये हैं और न उन्हें न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इसी सम्बन्ध में साक्षी पी.डब्लू। ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि ,उसने फटे हुए कपड़े विवेचक को नहीं दिये थे। विवेचक साक्षीगण

Scanned by CamScanner

ने भी अपनी साक्ष्य में पीड़िता, पी.डब्लू। के फटे हुए कपड़े कब्जा पुलिस मे लेने से इन्कार किया है। यदि यह भी आपत्तिजन्य साक्ष्य थी जिससे साक्षी पी.डब्लू। के द्वारा उसके साथ हुई बलात्कार की घटना की पुष्टि हो सकती थी किन्तु इसे भी अभियोजन की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है और इससे भी साक्षी पी. डब्लू। द्वारा किये गये कथनों की पुष्टि नहीं होती है।

33. साक्षी पी.डब्लू। ने अपनी साक्ष्य में यह कहा कि, वह जब घटना घटित होने के पश्चात् आश्रम से माह नवम्बर 1997 से अपने घर गयी थी तब उसने अपनी माँ से अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना कारित करने के सम्बन्ध में बताया था किन्तु साक्षी पी.डब्लू। द्वारा किये गये इन कथनों की पुष्टि साक्षी पी.डब्लू3 श्रीमती गायत्री देवी जोकि पीड़िता साक्षी पी.डब्लू। की माँ है, की साक्ष्य से नहीं होती है। "मेरी जानकारी में नहीं है कि, बाबा बीरेन्द्र देव ने मेरी लड़की के साथ बलात्कार किया था और न ही मेरी लड़की ने बताया कि बाबा ने मेरे साथ कभी बलात्कार किया है। मैंने यह ध्यान कि, मेरी पुत्री मुझसे चुपकर बहुत रोई थी। मेरी लड़की ने रोकर कहा कि घर ले चलों। इन 4 महीनों के दौरान मेरी पुत्री से मेरा कोई सम्पर्क नहीं हुआ। मेरी पुत्री ने मुझसे कहा कि, मुझे घर ले चलों। 3-4 दिन रुकने के बाद मैं अपनी पुत्री रेणुका को लेकर घर चली आई। घर आकर लड़की ने मुझे सारी बातें बतायीं तथा कहा कि, बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित ने जबरन बलात्कार किया और शान्ता बहन, इसे जबरदस्ती उठाकर बाबा वीरेन्द्र देव के पास ले जाती थी तथा दरवाजा बन्द कर देती थी। मैंने लोक लाज व बदनामी के कारण इस बात को किसी से नहीं कहा।" यह ज्ञान सिखाने से व बा समझी के कारण दिया था। बाबा को मैंने

कभी अश्लील हरकतें करते नहीं देखा था। आश्रम में मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि, बाबा बलात्कारी है। कान्ता बहन को मैंने कभी ओंछी हरकतें या गन्दी हरकतें करते नहीं नहीं देखा और न मैंने आश्रम के किसी भी आदमी से सुना था। आश्रम में माताएं, बहन एक साथ रहती थीं।" इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य के अनुसार साक्षी पी.डब्लू। द्वारा किया गया यह कथन कि, आश्रम से घर जाने के पश्चात् उसने सारी घटना अपनी माँ को बतायी थी, सत्य एवं विश्वसनीय साबित नहीं होती है।

34. साक्षी पी.उब्लू। द्वारा किया गया यह कथन कि, उसे आश्रम से बाहर जाने व अपने घर से सम्पर्क करने का अवसर नहीं था, भी सत्य एवं विश्वसनीय प्रतीत होता है। क्योंकि इस सम्बन्ध में साक्षी पी.डब्लू3 जोकि पीड़िता की माँ है, ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि,"कहीं भी उठने-बैठने पर किसी भी माता बहन को कोई बन्दिश नहीं थी। आश्रम में रहने वाले अपने परिवार के लोगों से सम्बन्ध द्वारा फोन या चिट्ठी अन्य किसी तरह से बना सकते थे। बाहर से लोग आते थे व किसी भी समय बाबा वीरेन्द्र देव के आश्रम मे आते थे और किसी समय ज्ञान सुनकर चले जाते थे।" इस प्रकार इस साक्षी के अनुसार भी यह तथ्य साबित होता है कि पीड़िता को अपने साथ हुई घटना के बारे में आश्रम के लोगों को आश्रम के बाहर के लोगो को व अपने घर वाले लोगों को बताने का पूर्ण अवसर प्राप्त था। इसके बावजूद उसने घटना घटित होने के बारे में किसी से भी कुछ नहीं बताया और यह तथ्य भी अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना कारित किये जाने की घटना को संदिग्ध बनाते हैं।

35. उपरोक्त वर्णित समस्त परिस्थितियों में साक्षी पी.डब्लू।

Scanned by CamScanner

के द्वारा किये गये इन कथनों की, अभियुक्त वीरेन्द्र देव दीक्षित ने अभियुक्ता शान्ता बहन के सहयोग से घटना वाले दिन, समय व स्थान पर बलात्कार किया, को संदिग्ध एवं अविश्वसनीय बनाती है।

36. अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना घटित होने के एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त दर्ज करायी गयी है और इस एक वर्ष, के विलम्ब का कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण नहीं दर्शाया गया है। अतः इस आधार पर अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है और संदेह का लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त होता है। अपने इस तर्क के समर्थन में अभियुक्तगण की ओर से विधिक निर्णय 2007(3) सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्राइम) 198 नारायन उर्फ नारन बनाम स्टेट आफ राजस्थान, 2010 (1) ए.सी.जे. पेज 228 तमीजुददीन उर्फ तम्बू बनाम स्टेट आफ देलही, 2007 (1) सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्रि0) 546 रामदास व अन्य स्टेट आफ महाराष्ट्रा, 2011 (1)ए.सी.जे. 345 मईयमालमियां उर्फ जरदार खान व अन्य बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश, 2011(1) ए.सी.जे.87 निरमल हलधर बनाम स्टेट भी प्रस्तुत किये गये हैं। जिनमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, विलम्ब का कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण नहीं दर्शाया गया है। पीड़िता की साक्ष्य से घटना संदिग्ध होती है तो ऐसी परिस्थिति में अभियोजन कथानक को संदिग्ध माना जायेगा तथा अभियुक्त को सिद्ध नहीं किया जा सकेगा।

37. प्रस्तुत मामले में घटना दिनांक 7.5.97 की रात 10 बजे की बतायी गयी है। जबकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दि0 14.5.98 को समय 6.40 बजे दर्ज करायी गयी है। इस प्रकार

घटना की रिपोर्ट एक वर्ष एक सप्ताह विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। ऊपर यह निष्कर्षित किया जा चुका है कि, घटना होने के तत्काल पश्चात् रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का पीड़िता साक्षी पी.डब्लू। के पास पूर्ण अवसर था। इसके बावजूद उसने घटना की कोई रिपोर्ट घटना घटित होने के तत्काल पश्चात् दर्ज नहीं करायी है। यहीं नहीं साक्ष्य से यह तथ्य साबित होता है कि, पीड़िता साक्षी माह नवम्बर 1997 में आश्रम से अपने घर चली गयी। इस प्रकार अपने घर पहुंचने पर उसने घटना के बारे में न तो कोई रिपोर्ट दर्ज करायी और न ही किसी को बताया। नवम्बर 1997 के पश्चात् दिनांक 14.5.98 तक घटना की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करायी गयी इसका भी कोई पर्याप्त एवं संतोष जनक कारण अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं बताया गया है। ऊपर यह भी निष्कर्षित किया जा चुका है कि, साक्षी पी.डब्लू। के द्वारा उसके साथ अभियुक्तगण के द्वारा बलात्कार किये जाने सम्बन्धी किये गये कथन सम्पुष्टि कारक साक्ष्य के अभाव में सत्य एवं विश्वसनीय साबित नहीं होते है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले के पीड़िता साक्षी पी.डब्लू। द्वारा उसके साथ अभियुक्तगण द्वारा बलात्कार किये जाने से सम्बन्धी किये गये कथन सत्य एवं विश्वसनीय सबित नहीं होते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट को विलम्ब से दर्ज कराये जाने का कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण भी नहीं दर्शाया गया है। अतः इस आधार पर मेरे विचार से अभियोजन कथनक संदिग्ध हो जाता है और अभियुक्तगण को उसकी ओर से प्रस्तुत किये गये विधिक निर्णयों एवं संदेह का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है।

38. अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, अभियुक्तगण बीरेन्द्र देव दीक्षित व शान्ता बहन प्रारम्भ में माउन्ट आबू आश्रम से सम्बन्धित थे किन्तु बाद में बाबा बीरेन्द्र देव

Scanned by CamScanner

दीक्षित ने अपने आश्रम कम्पिल व दिल्ली बना लिये और माउन्ट आबू वाले आश्रम से टूट-2 कर लोग बाबा बीरेन्द्र देव दीक्षित के आश्रम से जुड़ने लगे और उनकी ख्याति फैलने लगी जिससे चिढ़कर डा0 अशोक पाहूजा, चतुर्भुज गुप्ता, दशरथ ए पटेलव कैलाशचन्द्र ने आश्रम में रहने वाली कोनिका वर्मन को अपने साथ ले जाने का जबरन प्रयास किया और कोनिका वर्मन के पिता प्राण गोपाल से झूठे प्रार्थनापत्र दिलवाये। किन्तु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई, उल्टे कोनिका वर्मन ने उक्त लोगों के खिलाफ बलात्कार किये जाने का मुकदमा दर्ज कराया। जिसकी रंजिश के कारण उक्त लोगों ने आश्रम में रहने वाली जया भारद्वाज, तारा व मीना कुमारी तथा प्रस्तुत वाद की वादिनी कु0 रेणुका से वर्ष 1998 में ही बलात्कार के मुकदमे में फर्जी मुकदमे कायम करवा दिये। जिनमें से जया भारद्वाज, तारा व मीना कुमारी के द्वारा दर्ज किये गये बलात्कार के मुकदमे में उसे दोष मुक्त किया जा चुका है और प्रस्तुत मामले की घटना भी फर्जी है और उसे मामले में झूँठा फंसाया गया है। अपने इस तर्क के समर्थन में अभियुक्तगण की ओर से कागज सं0 240ए/4 लगायत 240ए/97 भी प्रस्तुत किये गये है। जिनसे अभियुक्तगण की ओर से किये गये इन कथनों की पुष्टि होती है। इस सम्बन्ध में विवेचक साक्षी पी डब्लू 7 ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि यह मेरी जानकारी में है कि इस घटना से पहले कोनिका वर्मन बाबा के आश्रम में शिष्या थी जिसे घर वापस लिये जाने के लिए उसके पिता व अन्य लोग आश्रम गये थे। कोनिका वर्मन ने जाने से मना किया था, इस पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और दोनों पक्ष 107/116/147 के अन्तर्गत गिरफ्तार हुए। जिसमें एक पक्ष कोनिका के पिता प्राण गोपाल था तथा कैलाशचन्द चतुर्भुज एवं

Scanned by CamScanner

दिनेश थे और दूसरी पार्टी में रवीन्द्र नाथ दास राजबहादुर, सियाराम व जयराम थे। यह सही है कि, इसमें एस0डी0एम0 ने सर्च वारन्ट जारी किया था और कोनिका को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। कोनिका ने फिर भी अपने पिता के साथ जाने से न्यायालय में मना कर दिया। कोनिका को आश्रम भेजा था। कोनिका वर्मन बालिग थी। मेरी जानकारी में आया था कि, कोनिका वर्मन ने अपने पिता के विरूद्ध उक्त के संदर्भ में पिता द्वारा प्राण गोपाल पर न्यायालय में धारा 467, 468,471 भा0द.0सं0 का भी मुकदमा दर्ज कराया था। यह ~~बलात्कार की~~ जानकारी में नहीं है कि, कोनिका वर्मन को इस इस घटना के पहले दशरथ ए पटेल, कैलाशचन्द्र, अशोक पाहूजा व उसके पिता प्राण गोपाल आश्रम से बहला-फुसलाकर ले गये थे। जिसके बाबत् जब वह मुक्त हुई तो उसने उपरोक्त लोगों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु मुकदमा किया हो और न्यायालय के आदेश पर दशरथ ए पटेल, कैलशचन्द्र, चतुर्भुज अग्रवाल के विरूद्ध अपराध सं0 निल/98 धारा363,366,342,323,504,376/504, 120बी भा0द0सं0 का मुकदमा पंजीकृत हुआ हो। अशोक पाहूजा एवं चतुर्भुज तथा कैलाश, बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के समर्थक थे, यह कहना सही है। विवेचक साक्षी पी.डब्लू 5 ने भी अपनी साक्ष्य में कहा है कि, दि0 6.4.98 के पूर्व वीरेन्द्र देव के कम्पिल आश्रम के बारे में कोई शिकायत किसी भी प्रकार की मेरी जानकारी में थाना कम्पिल में नहीं हुई। इस प्रकार इन साक्षीगण की ~~साक्ष्य~~ से अभियुक्तगण द्वारा किये गये इन कथनों की पुष्टि होती है कि, इस घटना से पूर्व प्राण गोपाल वर्मन की पुत्री कोनिका वर्मन कोलेकर अभियुक्तगण के पक्ष से तथा प्राण गोपाल वर्मन व उसके समर्थक चतुर्भुज , कैलाश, दशरथ ए पटेल आदि से विवाद हुआ और

Scanned by CamScanner

इस विवाद में कोनिका वर्मन को अपने साथ ले जाने में प्राण गोपाल वर्मन, चतुर्भुज अग्रवाल, कैलाशचन्द्र व अशोक पाहूजा आदि असफल रहे और इसी के बाद पूर्व की बलात्कार की घटना को आधार बताते हुए अभियुक्त वीरेन्द्र देव दीक्षित के विरूद्ध इस मुकदमे के अतिरिक्त 3 अन्य बलात्कार के मुकदमें भी दर्ज कराये गये है जोकि साक्ष्य अभाव में बरी हो चुके है। इससे यह निष्कर्षित होता है कि प्रस्तुत वाद भी फर्जी घटना के आधार पर कामय कराया गया है और अभियुक्तगण को मामले में झूँठा फंसाया गया है।

39. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी.डब्लू2 कैलाशचन्द्र को साक्ष्य में परीक्षत कराया गया है किन्तु यह साक्षी घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है और न ही इसने अभियुक्तगण के साथ घटना कारित करते हुए देखा है। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण दुष्चरित्र होने सम्बन्धी कथन किये गये हैं किन्तु जो घटनाएं इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य मे उल्लेखित की हैं वह सुनी सुनायी बातों पर आधारित है जिन व्यक्तियों से उसने बातों को सुनना बताया है, उन्हें अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में किये गये कथनों का कोई साक्षिक मूल्य नहीं है।

40. अभियोजन की ओर से तथ्य सम्बन्धी साक्षी पी.डब्लू3 भी घटना की चश्मदीद साक्षी नही है और न ही इसने अभियुक्तगण को पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना करते हुए देखा है बल्कि इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि "बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के कई आश्रम कम्पिल के अलावा दिल्ली, कलकत्ता आदि में है दिल्ली आश्रम मैंने देखा है उसमें मैं रही। बाबा वहाँ ज्ञान सुनाते थे सभी लोग प्रेम से रहते हैं, सभी लोग कम्पिल आश्रम

Scanned by CamScanner

की माताओं, बहनों व भाई प्रेम से रहते हैं, किसी से कोई शिकायत मैंने बाबा की नहीं सुनी। कम्पिल आश्रम में 4-5 दिन रही उन 4-5 दिनों में बाबा की कोई शिकायत बाबा की भाई, बहन व माताओं से नहीं सुनी। आश्रम का वातावरण पवित्र रहता है। सब लोग मन से ज्ञान सुनते है। सभी लोग बाबा की इज्जत करते थे। मेरी नजर में कम्पिल का आश्रम एक पवित्र आश्रम था और है। सन् 97-98 में, मैं दिल्ली आश्रम में लगातार आती रही थी। ज्ञान सुनने जाती थी। उस दौरान आश्रम का वातावरण पवित्र था। बाबा को मैंने कभी अशलील हरकतें करते नहीं देखा था। आश्रम मे मुझे किसी ने बताया था कि, बाबा बलात्कारी है। शान्ता बहन को मैंने कभी औछी हरकतें व गन्दी हरकते करते नहीं देखा था और न मैंने आश्रम के किसी भी आदमी से सुना था।" इस प्रकार इस साक्षी से भी अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता साक्षी पी.डब्लू। के साथ बलात्कार की घटना कारित किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। पीड़िता साक्षी पी.डब्लू। ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, बलात्कार की घटना से उसके मुंह हाथ पैर व कमर में चोटें आयी थी, जबकि इस सम्बन्ध में चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू4 ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, उसे मजरूवा ने डाक्टरी परीक्षण के दौरान मुंह, हाथ-पैर व कमर पर चोट के बारे में नहीं बताया था। यदि बताया होता तो रिपोर्ट में उल्लेख होता। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-2 के अनुसार पीड़िता के शरीर पर एवं प्राइवेट पार्ट पर कोई भी चोट अथवा चोट के निशानात नहीं पाये गये हैं। यदि इससे साक्षी पी.डब्लू। द्वारा किये गये इन कथनों की पुष्टि नहीं होती है कि, बलात्कार की घटना में उसके शरीर पर चोटें आई थी। चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू4 ने अपनी साक्ष्य में यह भी कहा है कि, रेप के बारे में कोई डिफिनीट

Scanned by CamScanner

ओपिनियन नहीं दी जा सकती। इस प्रकार चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य व चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को भी पीड़िता साक्षी पी. डब्लू।. द्वारा बलात्कार किये जाने के कथनों की पुष्टि नहीं होती है।

41. विवेचक साक्षी पी.डब्लू7 ने अपनी साक्ष्य में घटना स्थल का निरीक्षण वादिनी मुकदमा श्रीमती रेणुका के निशानदेही पर पूर्व विवेचक सत्यदेव यादव द्वारा किया जाना बताया है साक्षी पी.डब्लू9 ने भी अपनी साक्ष्य में कु0 रेणुका की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी किया जाना कहा है किन्तु इस सम्बन्ध में साक्षी पी.डब्लू। रेणुका ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, वह घटना के बाद वीरेन्द्र देव के आश्रम में कभी नहीं गयी। इससे साक्षी पी.डब्लू। की निशान देही पर विवेचक द्वारा नक्शा नजरी तैयार किये जाना संदिग्ध हो जाता है।

42. इस प्रकार प्रस्तुत में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना घटित होने के एक वर्ष, एक सप्ताह बाद दर्ज कराया जाना साबित होता है। इस एक वर्ष एक सप्ताह के विलम्ब का कोई भी पर्याप्त एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सम्पुष्टि कारक साक्ष्य के अभाव के उपरान्त साक्षी पी.डब्लू। द्वारा उसके साथ अभियुक्त वीरेन्द्र देव दीक्षित द्वारा अभियुक्ता शान्ता कुमारी के सहयोग से बलात्कार किये जाने की पुष्ठि नहीं होती है। तथ्य सम्बन्धी साक्षीगण पी.डब्लू2 व पी.डब्लू3 बलात्कार की घटना के चश्मदीद साक्षी नही रहे हैं। उनकी द्वारा साक्ष्य में किये गये कथनों से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। पत्रावली पर मौजूद मौखिक एंव अभिलेखीय साक्ष्य से यह तथ्य साबित होता है कि प्राण गोपाल वर्मन की पुत्री कु0 कोनिका वर्मन को अपने-2 कब्जे में लेने के सम्बन्ध में इस घटना से पूर्व प्राण गोपाल, अशोक पाहूजा,

Scanned by CamScanner

दशरथ ए पटेल व कैलाशचन्द्र तथा बीरेन्द्र देव दीक्षित के आश्रम के लोगों से विवाद हुआ था। जिसमें प्राण गोपाल पक्ष असफल रहा था और इसी बीच पक्षकारों के मध्य रंजिश रही थी व मुकदमें बाजी भी चली थी। इसके चलते यह मुकदमा एक वर्ष पूर्व की फर्जी घटना बताते हुए वादिनी मुकदमा से संस्थित कराया गया है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य महिलाओं से भी बलात्कार की घटना बनाकर मुकदमे दर्ज कराये गये थे। जिनमें अभियुक्तगण को पहले से ही दोष मुक्त किया जा चुका है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से पीड़िता के साथ बलात्कार किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। नक्शा नजरी भी पीड़िता की निशान देही पर बनाया जाना साबित नहीं होता है। पीड़िता साक्षी पी.डब्लू1 की माँ साक्षी पी.डब्लू3 ने भी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। साक्षी डब्लू3 व डब्लू4 ने भी अपनी साक्ष्य में घटना वाले दिनांक व समय पर पीड़िता साक्षी पी.डब्लू1 के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्कार किये जाने की घटना से इन्कार किया है। घटना के समय घटना स्थल आश्रम पर मौजूद 2-3 सौ लोगों में से किसी भी व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है और न ही अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में परीक्षित कराये गये हैं। इन समस्त तथ्यों के आधार पर यह तथ्य युक्ति युक्त संदेह से परे सत्य साबित नही होता है कि, दिनांक 7.5.1998 को समय रात्रि 10 बजे घटना स्थल आश्रम बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित ने अभियुक्ता शान्ता कुमारी के सहयोग से प्रीडिक्रता पी.डब्लू1 के साथ बलात्कार किया और इस प्रकार मेरे विचार से अभियोजन पक्ष अभियुक्त वीरेन्द्र दीक्षित पुत्र स्वर्गीय श्री सोहन लाल दीक्षित के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 376 व 376ग तथा अभियुक्ता शान्ता कुमारी पुत्री

Scanned by CamScanner

नागराज सेठी के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 114/376 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों को युक्ति युक्त सदेह से परे सत्य साबित करने सफल नहीं रहा है और अभियुक्तगण इन आरोपों से दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त बीरेन्द्र देव दीक्षित पुत्र स्वर्गीय श्री सोहन लाल दीक्षित को भा0द0सं0 की धारा 376 व 376ग के अर्न्तगत लगाये गये आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्ता शान्ता कुमारी पुत्री नागराज सेठी को भा0द0सं0 की धारा 114/376 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप से दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानतनामे व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक 27.08.2012

(भैरवलाल) 27/8/12
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0-8 फर्रुखाबाद।

उक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर, उद्घोषित किया गया।

दिनांक 27.08.2012

(भैरवलाल) 27/8/12
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0-8 फर्रुखाबाद।

प्रमाणित प्रतिलिपि
K. Nagam
प्रधान प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय
फर्रुखाबाद